

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 460] No. 460] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15 दिसम्बर, 2016

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी005.—िदवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5, धारा 33, धारा 34, धारा 35, धारा 37, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 43, धारा 45, धारा 49, धारा 50, धारा 51, धारा 52, धारा 54, धारा 196 और धारा 240 के साथ पिठत धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

<u>अध्याय ।</u>

प्रारंभिक

1. लघु शीर्ष एवं आरम्भ:

- (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियमन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे:
- (3) ये विनियमन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग-II के अध्याय-III के अधीन समापन प्रक्रिया के लिए लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "कारपोरेट ऋणी की बही" से अभिप्रेत है।
 - (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(13) और धारा 2(40) में यथापरिभाषित लेखाबही और वित्तीय कथन:

5779 GI/2016 (1)

- (ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 34 में यथाउल्लिखित लेखाबही;
- (iii) लागू किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाबही;

या जैसा भी मामला हो

- (ख) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता, 2016 अभिप्रेत है;
- (ग) "अंशदाता" से कंपनी का कोई सदस्य, सीमित देयता भागीदारी का कोई भागीदार और ऐसा अन्य कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो कंपनी के समापन की स्थिति में कारपोरेट ऋणी की आस्तियों में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार हो;
- (घ) "इलेक्ट्रोनिक माध्यम" से ऐसा प्राधिकृत और सुरक्षित कंप्यूटर कार्यक्रम अभिप्रेत है जो ऐसी सूचना प्राप्त करने के हकदार सहभागी उनके अंतिम इलेक्ट्रोनिक मेल पते पर सूचना भेजने की पृष्टि करने और ऐसी सूचना का रिकार्ड रखने मे सक्षम है;
- (ङ) "पहचान संख्या" से सीमित देयता भागीदार पहचान संख्या या कारपोरेट पहचान संख्या, जैसा भी मामला हो, से अभिप्रेत है;
- (च) "प्रारंभिक रिपोर्ट" से विनियमन 13 के अनुसरण में तैयार की गई रिपोर्ट से अभिप्रेत है;
- (छ) "प्रगति रिपोर्ट" से विनियमन 15 के अनुसरण में तैयार की गई तिमाही रिपोर्ट से अभिप्रेत है;
- (ज) "पंजीकृत मूल्यांकक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में पंजीकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है;
- (झ) "अनुसूची" से इन विनियमनों की अनुसूची से अभिप्रेत है;
- (ञ) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है; और
- (ट) "पक्षकारों" से इस संहिता की धारा 53 के अधीन प्राप्तियों के वितरण के लिए हकदार पक्षकारों से अभिप्रेत है।
- (2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन वियनियमों के प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परंतु संहिता में परिभाषित किया गया है, के वही आशय होंगे जो कि इन्हें इस संहिता में दिए गए हैं।

अध्याय-II

परिसमापक की नियुक्ति और पारिश्रमिक

- 3. परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता
- (1) कोई दिवाला व्यावसायिक परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि वह और उस दिवाला व्यावसायिक संस्था, जिसका वह भागीदार या निदेशक है, का प्रत्येक भागीदार या निदेशक कारपोरेट ऋणी से स्वतंत्र है।

स्पष्टीकरण- किसी व्यक्ति पर कारपोरेट ऋणी से स्वतंत्र होने पर विचार किया जाएगा, यदि वह-

- (क) यदि कारपोरेट ऋणी एक कंपनी है तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारोपोरेट ऋणी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है;
- (ख) कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष नहीं है; या
- (ग) कर्मचारी या मालिक या भागीदार नहीं रहा है:

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में -

(i) कारपोरेट ऋणी के लेखा परीक्षक या कंपनी सचिव या लागत लेखापरीक्षकों की किसी फर्म का; या

- (ii) किसी कानूनी या परामर्शदाता फर्म का जिसका उस फर्म के सकल आवर्त में दस प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले कारपोरेट ऋणी के कोई संव्यवहार है।
- (2) परिसमापक संबंधित कापोरेट ऋणी या इसके किसी पक्षकार के साथ कोई वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध होने की जानकारी मिलते ही उसे बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी को देगा।
- (3) कोई दिवाला व्यावसायिक परिसमापक के रूप में कार्य जारी नहीं रखेगा यदि वह दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसका वह व्यक्ति निदेशक या भागीदार है, या दिवाला व्यावसायिक संस्था का अन्य कोई भागीदार या निदेशक उसी समापन में किसी अन्य पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है।

4. परिसमापक की फीस

- (1) परिसमापक को देय समापन लागत का एक भाग होगा।
- (2) परिसमापक ऐसी फीस और ऐसी रीति में प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि धारा 33(1)(क) या 33(2) के अधीन समापन आदेश पारित करने से पहले लेनदारों की समिति द्वारा निर्धारित की गई हो।
- (3) उप विनियमन (2) के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में परिसमापक अन्य समापन लागत वितरण के पश्चात निवल प्राप्त राशि तथा वितरित राशि के प्रतिशत के रूप में फीस प्राप्त करने का हकदार होगा जिसका विवरण इस प्रकार है:

प्राप्ति/वितरण की राशि (रुपए में)	प्राप्त/वितरित राशि पर फीस का प्रतिशत			
	पहले छ: माह में	अगले छ: माह में	अगले एक वर्ष में	उसके बाद
प्राप्ति की राशि (समापन लाग	त को छोड़कर)			
पहले 1 करोड़ पर	5.00	3.75	2.50	1.88
अगले 9 करोड़ पर	3.75	2.80	1.88	1.41
अगले 40 करोड़ पर	2.50	1.88	1.25	0.94
अगले 50 करोड़ पर	1.25	0.94	0.68	0.51
आगे प्राप्त होने वाली राशि पर	0.25	0.19	0.13	0.10
वितरीत राशि				
पहले 1 करोड़ पर	2.50	1.88	1.25	0.94
अगले 9 करोड़ पर	1.88	1.40	0.94	0.71
अगले 40 करोड़ पर	1.25	0.94	0.63	0.47
अगले 50 करोड़ पर	0.63	0.48	0.34	0.25
आगे वितरित की जाने वाली राशि पर	0.13	0.10	0.06	0.05

(4) परिसमापक उप विनियमन (3) के अधीन प्राप्ति पर देय फीस की आधी राशि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्राप्त राशि को वितरित करने के बाद ही हकदार होगा।

अध्याय-III

समापकों की शक्तियां और कार्य

5. रिपोर्टिंग

(1) परिसमापक इन विनियमनों में यथाविहित रीति में न्यायनिर्णायक अधिकारी को

तैयार और प्रस्तुत करेगा:

- (क) एक प्रारंभिक रिपोर्ट;
- (ख) आस्ति ज्ञापन;
- (ग) प्रगति रिपोर्ट (रिपोर्टें);
- (घ) बिक्रय रिपोर्ट (रिपोर्टें);
- (ङ) पक्षकारों के साथ परामर्श के कार्यवृत्त; और
- (च) विघटन से पहले अंतिम रिपोर्ट।
- (2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी के विघटन के बाद पांच वर्ष तक उक्त विनयिमन (1) में उल्लिखित रिपोर्टों और कार्यवृत्त की एक भौतिक के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक प्रतिलिपि भी सुरक्षित रखेगा।
- (3) इन विनियमनों के अन्य उपबंधों को अधीन परिसमापक उपविनियमन (1) में उल्लिखित रिपोर्टें और कार्यवृत्त लिखित में आवेदन और ऐसी रिपोर्टें तथा कार्यवृत्त निम्नलिखित के प्राप्त होने के बाद पक्षकारों को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप में उपलब्ध कराएगा:
 - (क) लिखित प्रार्थना पत्र;
 - (ख) ऐसी रिपोर्टों तथा कार्यवृत्त को बनाने की लागत लेने पर; और
 - (ग) पक्षकार जो उक्त विनियमन (3) के अधीन रिपोर्ट और कार्यवृत्त प्राप्त करता है, ऐसी रिपोर्टों और कार्यवृत्त की गोपनीयता बनाए रखेगा और स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग नहीं करेगा।

6. रजिस्टर और लेखाबही

- (1) यदि समापन प्रारंभ करने की तारीख को कारपोरेट ऋणी की लेखाबही पूरी नहीं है तो परिसमापक उसे समापन का आदेश पारित होते ही यथासंभव पूरा करेगा तथा अध्यतन करेगा।
- (2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी के समापन के संबंध में निम्नलिखित रजिस्टर और बही, जो भी लागू हो, का रख-रखाव करेगा और उन्हें कारपोरेट ऋणी के विघटन के बाद आठ वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेगा –
 - (क) नगदी बही;
 - (ख) रजिस्टर;
 - (ग) बैंक रजिस्टर;
 - (घ) स्थिर आस्तियों और सामान का रजिस्टर;
 - (ङ) प्रतिभूतियों और निवेश का रजिस्टर;
 - (च) बही ऋण और बकाया ऋण का रजिस्टर;

- (छ) किराएदार रजिस्टर;
- (ज) वाद रजिस्टर;
- (झ) डिक्री रजिस्टर;
- (ञ) दावों और लाभांश का रजिस्टर;
- (ट) अंशदाता बही;
- (ठ) वितरण रजिस्टर:
- (ड) फीस रजिस्टर;
- (ढ) उचंति रजिस्टर;
- (ण) दस्तावेज रजिस्टर;
- (त) बही रजिस्टर;
- (थ) विनियमन 45 के अनुसरण में जमा किए गए परंतु दावा न किए गए लाभांश और अवितरित संपत्तियों का रजिस्टर:
- (द) कारपोरेट ऋणी के संबंध में उसके द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों के लिए आवश्यक समझे जाने वाली अन्य कोई बही।
- (3) विनियम (2) में उल्लिखित सभी रजिस्टर व बही अनुसूची-III में दर्शाए गए प्रारूपों के अनुसार रख-रखाव किया जाएगा, ऐसे सभी परिवर्तनों के साथ जिसे परिपरिसमापक समापन प्रक्रिया के दौरान उन सभी तथ्यों व परिस्थितियों के संबंध में उचित मानता हो।
- (4) परिसमापक उसके द्वारा उसके किए गए सभी भुगतान और व्यय के वाउचर रखेगा।

7. व्यावसायिकों की नियुक्ति

- (1) परिसमापक अपने दायित्वों, बाध्यताओं और कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए एक तर्कसंगत पारिश्रमिक के साथ व्यावसायिक नियुक्त कर सकता है जो समापन लागत का एक भाग होगा।
- (2) परिसमापक उप विनियमन (1) के अधीन किसी ऐसे व्यावसायिक को नियुक्त नहीं करेगा जो उसका संबंधी है या कारपोरेट ऋणी का संबंधित पक्ष रहा है या जो समापन प्रारंभ होने की तारीख से पहले आठ वर्षों में जिसने कारपोरेट ऋणी के लिए लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया है।
- (3) उपविनियमन (1) के अधीन नियुक्त या नियुक्ति के लिए प्रस्तावित कोई व्यावसायिक किसी पक्षकार या संबंधित कारपोरेट ऋणी के साथ किसी वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध के अस्तित्व की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना परिसमापक को देगा।

8. पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श

- (1) धारा 35(2) के अधीन परामर्श देने वाले पक्षकार कारपोरेट ऋणी के समापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए परिसमापक को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देंगे।
- (2) परिसमापक इस विनियमन के अधीन पक्षकारों के साथ किए गए विचार-विमर्श के विवरण अनुसूची-II के प्ररूप क में यथाविहित रखेगा।

9. परिसमापक को सहयोग देने के लिए कार्मिक

- (1) परिसमापक न्यायनिर्णायक अधिकारी को यह निदेश देने के लिए आवेदन करेगा कि कोई व्यक्ति जो -
 - (क) कारपोरेट ऋणी का एक अधिकारी, लेखा परीक्षक, कर्मचारी, संप्रवर्तक या भागीदार है या रहा है;
 - (ख) कारपोरेट ऋणी का अस्थायी समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावयायिक या पूर्व परिसमापक था; या
 - (ग) जिसके पास कारपोरेट ऋणी की किसी संपत्ति का कब्जा है। समापन करवाने के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करने में उसका सहयोग करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन आवेदन परिसमापक द्वारा ऐसे व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए किए गए यथोचित प्रयासों और उन प्रयासों के विफल होने के बाद ही कर सकता है।

10. सभार संपत्ति का डिस्कलेमर

- (1) यदि कारपोरेट ऋणी की संपत्ति के किसी भाग में -
 - (क) किसी पट्टे की भूमि जिस पर सभार प्रतिज्ञा पत्र है;
 - (ख) कंपनियों में शेयर या स्टॉक;
 - (ग) कोई अन्य ऐसी संपत्ति जो उसके धारक द्वारा किसी सभार कार्य के निष्पादन या किसी धनराशि के भुगतान के कारण बेचने योग्य नहीं या तत्काल नहीं बेची जा सकती; या
 - (घ) अलाभकारी संविदाएं;

परिसमापक इस बात के होते हुए भी कि उसने संपत्ति को बेचने या उसका कब्जा लेने का प्रयास किया है या उसके संबंध में स्वामित्व में लेने का कोई कार्य किया है या संविदा के अनुसरण में कोई कार्य किया है तो वह समापन आरंभ होने की तारीख से छ: माह के अंदर या ऐसी बढ़ाई गई अविध जैसा कि न्यायनिर्णायक अधिकारी अनुमित दे, को संपत्ति या संविदा का दावा छोड़ने के लिए आवेदन दे सकता है।

- (2) परिसमापक उप विनियंमन (1) के अधीन आवेदन नहीं करेगा यदि संपत्ति या संविदा में इच्छुक कोई व्यक्ति लिखित में पूछताछ करता है कि क्या वह इस प्रकार से संपत्ति का दावा छोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है और उसने ऐसी पूछताछ की प्राप्ति से एक माह के अंदर ऐसा करने के अपने आशय को सूचित नहीं किया हो।
- (3) परिसमापक न्यायनिर्णय अधिकारी को डिस्केलमर के लिए आवेदन करने से कम से कम सात दिन पहले सभार संपत्ति या संविदा में इच्छुक व्यक्तियों को एक नोटिस देगा:

स्पष्टिकरण: कोई व्यक्ति संभार संपत्ति या संविदा में इच्छुक है यदि वह –

- (क) संविदा के लाभ का हकदार है या उसके भार के लिए दायी है; या
- (ख) किसी अदावाकृत संपत्ति में इच्छुक होने का दावा करता है या अदावाकृत संपत्ति के संबंध में निर्वहन न की गई देयता के अधीन है।
- (4) निर्णय अधिकारी द्वारा ऐसे डिस्क्लेमर को अनुमोदित करने के आदेश के अधीन यह डिस्क्लेमर इसकी तारीख से कारपोरेट ऋणी या दावा छोड़ी गई संपत्ति या संविदा के संबंध में अधिकारों, हित और देयताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य करेगा, परंतु यह कारपोरेट ऋणी और कारपोरेट की संपत्ति को देयता से मुक्त करने के प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों, हित या देयताओं को प्रभावित नहीं करेगा।
- (5) इस विनियमन के अधीन डिस्क्लेमर से प्रभावित किसी व्यक्ति को इस प्रभाव के संबंध में देय हर्जाने या क्षतिपूर्ति की राशि के लिए कारपोरेट ऋणी का लेनदार माना जाएगा और उसे तदनुसार धारा 53(1)(च) के अधीन समापनाधीन ऋण देय होगा।

11. अतिशय ऋण संव्यवहार

किसी संव्यवहार को धारा 50(2) के अधीन अतिशय ऋण संव्यवहार माना जाएगा यदि शर्तों में-

- (1) कारपोरेट ऋणी के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में अतिशय भुगतान करना अपेक्षित है;
- (2) संविदाओं से संबंधित विधि के सिद्धांतों के अधीन अत्यधिक अनुचित है।

अध्याय-IV

समापन करना

12. परिसमापक द्वारा समापन की सार्वजनिक घोषणा

- (1) परिसमापक अपनी नियुक्ति के पांच दिन के अंदर इन विनियमनों की अनुसूची-II के प्ररूप ख में एक सार्वजनिक घोषणा करेगा।
- (2) इस सार्वजनिक घोषणा में -
 - (क) पक्षकारों को समापन प्रारंभ करने की तारीख को अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा; और
 - (ख) दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख देगा जो कि परिसमापक प्रारंभ करने की तारीख से तीस दिन होगी।
- (3) यह घोषणा प्रकाशित की जाएगी -
 - (क) कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि हो, के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में जो परिसमापक की राय में कारपोरेट ऋणी अपना वास्तविक व्यापार संव्यवहार करता है, में व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में;
 - (ख) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि हो, पर; और
 - (ग) इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट, यदि हो, पर।

13. प्रारंभिक रिपोर्ट

परिसमापक द्वारा समापन आरंभ होने की तारीख से पचहत्तर दिन के अंदर निर्णय अधिकारी को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा-

- (क) कारपोरेट ऋणी की पुंजीगत संरचना;
- (ख) कारपोरेट ऋणी की बही के आधार पर समापन आरंभ होने की तारीख को उसकी आस्तियों और देयताओं का आकलन:

परंतु की यदि परिसमापक के पास लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ यह विश्वास करने का कारण है कि कारपोरेट ऋणी की बही विश्वसनीय नहीं है तो वह उसके पास उपलब्ध विश्वसनीय रिकार्डों और अन्यथा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर ऐसे आकलन दे सकता है;

- (ग) क्या वह कारपोरेट ऋणी या उसके व्यापार संचालन को संवर्धन, गठन या विफलता से संबंधित किसी मामले में आगे कोई पूछताछ करना चाहता है; और
- (घ) समापन करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना जिसमें यह कार्य करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित समय-सीमा जिसके अंदर वह इसे करना चाहता है और इसमें अनुमानित समापन लागत शामिल है।

14. शीघ्र विघटन

प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद किसी समय यदि परिसमापक को ऐसा लगता है कि -

- (क) समापन प्रक्रिया की लागत को पूरा करने के लिए कारपोरेट ऋणी की वसूली योग्य संपत्ति अपर्याप्त है; और
- (ख) कारपोरेट ऋणी के कार्यों की और अधिक जांच की आवश्यकता नहीं है;

वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट ऋणी के पूर्व विघटन और विघटन संबंधी ऐसे आवश्यक निर्देशों के लिए आवेदन कर सकता है।

15. प्रगति रिपोर्ट

- (1) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निम्नलिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा –
- (क) परिसमापक की नियुक्ति की तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रथम प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;
- (ख) उस तिमाही जिसके दौरान वह परिसमापक के रूप में कार्य कर रहा है की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर अनुवर्ती प्रगति रिपोर्ट/रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी; और

परंतु कि यदि एक दिवाला व्यावसायिक समापन प्रक्रिया के दौरान परिसमापक के रूप में कार्य करना बंद कर दे तो वह कार्य बंद करने के पन्द्रह दिनों के भीतर उस तिमाही में कार्य बंद करने की तारीख तक की प्रगति रिपोर्ट दायर करेगा।

- (2) एक प्रगति रिपोर्ट में उस तिमाही के लिए समापन संबंधी सभी सूचनाएं दी जाएंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-
 - (क) व्यवसायिकों की नियुक्ति, नियुक्ति की अवधि और नियुक्ति की समाप्ति;
 - (ख) समापन की प्रगति दर्शाने वाला विवरण जिसमें निम्नलिखित शामिल है-
 - (i) हितबद्धों की सूची का विवरण,
 - (ii) ऐसी किसी संपत्ति का ब्यौरा जिसकी बिक्री और वसूली होनी है,
 - (iii) हितबद्धों को किया गया वितरण,
 - (iv) हितबद्धों को न बिकी संपत्ति का वितरण और विक्रय रिपोर्ट संलग्न करना,
 - (ग) शुल्क या पारिश्रमिक का ब्यौरा, जिसमें निम्नलिखित शामिल है-
 - (i) परिसमापक को देय तथा प्राप्त शुल्क और साथ ही उसके द्वारा किए गए कार्यकलापों का वर्णन,
 - (ii) परिसमापक द्वारा नियुक्त व्यावसायिकों को अदा की गई पारिश्रमिक और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों का वर्णन,
 - (iii) परिसमापक द्वारा अर्जित अन्य व्यय, चाहे उनका भुगतानकिया गया हो या नहीं।
 - (घ) कारपोरेट ऋणी द्वारा या उसके विरूद्ध किसी वास्तविक मुकदमें में प्रगति;
 - (ङ) कोड के भाग-1 के अध्याय-3 के अनुसरण में संव्यवहार न करने के लिए आवेदन दायर करना; और उसकी प्रगति:
 - (च) अनुमानित समापन लागत में बदलाव।
- (3) एक प्रगति रिपोर्ट में किसी परिसमापक द्वारा रखे गए लेखे संलग्न किए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित विषय दर्शाए जाएंगे-
 - (i) उस तिमाही के दौरान परिसमापक की प्राप्तियां और भुगतान
 - (ii) समापन आरंभ होने की तारीख से उसकी प्राप्तियों और भुगतानों की संचयित राशि।
- (4) प्रगति रिपोर्ट के साथ एक विवरण जिसमें किसी आस्ति के विक्रय की अनुमानित वसूली के संबंध में विशेष परिवर्तनों तथा उसके आधार के बारे में बताया जाएगा।

तथापि सह विवरण किसी भी व्यक्ति को समापन प्रक्रिया के दौरान नहीं दिखाया जाएगा जब तक कि न्यायनिर्णय अधिकारी से अनुमत न हो।

स्पष्टीकरण: यदि एक दिवाला व्यावसायिक दिनांक 13 फरवरी, 2017 को परिसमापक बनता है और दिनांक 12 फरवरी, 2019 को परिसमापक के रूप में कार्य करना बंद करता है, तो वह निम्नलिखित रूप में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

रिपोर्ट सं.	तिमाही में ली गई अवधि	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	13 फरवरी – 31 मार्च, 2017	15 अप्रैल, 2017
2	अप्रैल – जून, 2017	15 जुलाई, 2017
3	जुलाई- सितंबर, 2017	15 अक्टूबर, 2017
4	अक्टूबर – दिसंबर, 2017	15 जनवरी, 2018
5	जनवरी – मार्च, 2018	15 अप्रैल, 2018
6	अप्रैल – जून, 2018	15 जुलाई, 2018
7	जुलाई – सितंबर, 2018	15 अक्टूबर, 2018
8	अक्टूबर – दिसंबर, 2018	15 जनवरी, 2019
9	जनवरी – 12 फरवरी, 2019	27 फरवरी, 2019

वह अपनी प्राप्तियों और भुगतानों की लेखापरीक्षित लेखों को निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत करेगा :

लेखा परीक्षित खाता सं.	वर्ष में ली गई अवधि	प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	13 फरवरी – 31 मार्च, 2017	15 अप्रैल, 2017
2	अप्रैल – मार्च, 2018	15 अप्रैल, 2018
3	अप्रैल – 12 फरवरी, 2019	27 फरवरी, 2019

<u>आध्याय V</u> दावे

16. दावों का साक्ष्य

वह व्यक्ति, जो हितबद्ध होने का दावा करता है, समापन आरंभ होने की तारीख तक , उसको देय ऋण या देयता में जिसमें लाभ यदि कोई हो, भी शामिल है के दावों को प्रमाणित करेगा

17. परिचालन लेदनादों द्वारा किए गए दावे

- (1) श्रमिक या कर्मचारी के अलावा कारपोरेट ऋणी का परिचालन लेनदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति परिसमापक को अनुसूची-II के प्ररूप-ग में दावों का साक्ष्य व्यक्तिक रूप में; पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रस्तुत करेगा।
- (2) इस विनियम के अधीन किसी परिचालन लेनदार को देय ऋण के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है।
- (क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड यदि कोई हो; या
- (ख) अन्य संगत दस्तावेज, जो ऋण को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं और जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या सभी शामिल हैं:-
 - (i) कारपोरेट ऋणी के साथ मालों या सेवाओं की आपूर्ति के लिए संवदा;
 - (ii) कारपोरेट ऋणी उपलब्ध कराए गए मालों और सेवाओं के लिए भुगतान का बीजक;
 - (iii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने किसी ऋण के गैर-भुगतान यदि कोई हो के परिणामस्वरूप निर्णय दिया है; और
 - (iv) वित्तीय लेखे।

18. वित्तीय लेनदारों द्वारा किए गए दावे

- (1) कारपोरेट ऋणी का वित्तीय लेनदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति परिसमापक को अनुसूची-II के प्ररूप-घ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- (2) वित्तीय लेनदान को देय ऋण के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है:-
- (क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या
- (ख) अन्य संगत दस्तावेज जो ऋण स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों और जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या सभी शामिल हैं-
 - (i) ऋण के साक्ष्य के रूप में वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित एक वित्तीय संविदा;
 - (ii) एक रिकार्ड जिसमें यह प्रमाणित होता है कि वित्तीय लेनदार द्वारा कारपोरेट ऋणी को प्रतिबद्ध राशि को कारपोरेट ऋणी द्वारा निकाला गया है;
 - (iii) वित्तीय विवरण जिसमें यह दर्शाया गया है कि ऋण का भुगतान नहीं किया गया है; और
 - (iv) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसमें किसी ऋण के गैर-भुगतान यदि कोई हो के परिणामस्वरूप निर्णय दिया है।

19. श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे

- (1) कारपोरेट ऋणी का श्रमिक या कर्मचारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति परिसमापक को अनुसूची-II के प्ररूप-फ में दावों का साक्ष्य व्यक्तिक रूप में, पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (2) कारपोरेट ऋणी के बहुसंख्यक श्रमिकों या कर्मचारियों के देय के मामले में, एक प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची-II के प्ररूप-च में उन श्रमिकों और कर्मचारियों की ओर से सभी देय राशियों के दावों का एक ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) श्रमिकों या कर्मचारियों को देय राशियों के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है-
 - (क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या
 - (ख) अन्य संगत दस्तावेज जो ऋण स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों और जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय या सभी विषय शामिल हों –
 - (i) रोजगार का साक्ष्य अर्थात उस अवधि के रोजगार की संविदा जिसके लिए वह श्रमिक या कर्मचारी देय राशि का दावा कर रहा है;
 - (ii) अदत्त राशि के भुगतान की मांग का प्रमाण और गैर-भुगतान के अन्य दस्तावेज या अन्य प्रमाण; और
 - (iii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने देय राशि के गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप निर्णय दिया हो।
- (4) यदि किसी श्रमिक या कर्मचारी ने किसी प्रकार का दावा नहीं किया है, तो परिसमापक कारपोरेट ऋणी के लेखा पुस्तिका से किसी श्रमिक या कर्मचारी के दावों को स्वीकार कर सकता है।

20. अन्य हितबद्धों द्वारा किए गए दावे

- (1) कोई व्यक्ति जो विनियम 17(1), 18)1) या 19(1) के अतिरिक्त हितबद्ध होने का दावा करता है तो अपने दावे का साक्ष्य परिपरिसमापक को प्ररूप-छ में व्यक्तिगत रूप से, डाक के द्वारा या इलेक्ट्रानिक तरीके से में प्रस्तुत करेगा।
- (2) हितबद्ध के दावे के साक्ष्य के अस्तित्व को निम्न के आधार पर माना जा सकता है:-

- (क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो; या
- (ख) अन्य संगत दस्तावेज जो ऋण स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों और जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय या सभी विषय शामिल हों –
 - (i) अभुक्त राशि की मांग करने का पत्र (डिमांड नोटिस) का दस्तावेजी साक्ष्य जिससे यह ज्ञात होता हो कि दावे का भुगतान नहीं किया गया है तथा शपथ पत्र जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य तथा बैंक खाते को सही, वैध तथा वास्तविक बताया गया हो
 - (ii) लेनदार की शेयरधारिता का दास्तावेजी या इलेक्ट्रानिक साक्ष्य; और
 - (iii) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का आदेश जिसने किसी दावे के गैर-भुगतान यदि कोई हो, के कारण निर्णय दिया है।

21. प्रतिभूति हित प्रमाणित करना

किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा किसी प्रतिभूत हित के अस्तित्व को निम्नलिखित आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है।

- (क) इन्फार्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड, यदि कोई हो;
- (ख) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रभार के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र; या
- (ग) भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री के प्रभार रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य।

22. विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करना

यदि कोई व्यक्ति किसी विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र या अन्य परक्राम्य लिखित या प्रतिभूति संबंधी ऋण जिसके लिए कारपोरेट ऋणी उत्तरदायी है, को प्रमाणित करना चाहता है, तो ऐसे विनिमय बिल, नोट, लिखित या प्रतिभूति को दावे की स्वीकृति के पूर्व परिसमापक के समक्ष पेश किया जाएगा।

23. दावों को सिद्ध करना

परिसमापक दावेदार से दसके दावों को संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सिद्ध करने के लिए ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण जैसा वह उचित समझे, की मांग कर सकता है।

24. साक्ष्यों की लागत

- (1) एक दावेदार अपने दावों को प्रमाणित करने की लागत वहन करेगा।
- (2) किसी दावे के सत्यापन या निधारण के लिए परिसमापक द्वारा किए गए लागतों को समापन लागत का भाग होगा:

परंतु कि यदि काई दावा या दावे का अंश गलत पाया गया, तो परिसमापक उस दावेदार से दावों के सत्यापन या निर्धारण के लिए आई लागत वसूलने का प्रयास करेगा और बोर्ड को दावेदार के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

25. दावों की मात्रा का निर्धारण

यदि किसी आकस्मिकता या अन्य किसी कारणवश किसी दावेदार की दावाकृत राशि सटीक नहीं है, तो परिसमापक अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दावों की राशि का सर्वोत्तम अनुमान लगाएगा।

26. विदेशी मुद्रा के ऋण

विदेशी मुद्रा में किए गए दावों को समापन आरंभ करने की तारीख से सरकारी विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में मूल्यांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – 'सरकारी विनिमय दर' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित संदर्भ दर है या उसे संदर्भ दरों से उतुपन्न हुआ है।

27. आवधिक भुगतान

किराया, लाभ या आवधिक प्रकृति के अन्य भुगतानों के मामले में, एक व्यक्ति केवल समापन आरंभ होने की तारीख तक देय या अदत्त राशि का दावा कर सकता है।

28. भविष्य में देय ऋण

- (1) एक व्यक्ति जिसकी समापन आरंभ होने की तारीख तक अदायगी देय नहीं है, अपने दावों का प्रमाणित कर सकता है।
- (2) उप विनियम (1) के तहत दावों की राशि को निम्नलिखित फारमूला द्वारा कम किया जा सकता है जिससे समापन आरंभ होने की तारीख तक दावों की राशि निकाली जा सकती है।

स्वीकृत दावा = $x/(1+r)^n$

यदि-

- (क) "x" स्वीकृत दावे का मूल्य है।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक में प्रकाशित वितरण आरंभ होनेकी तारीख तक "n" की परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति की अंतिम प्राप्ति दर "r" है; और
- (ग) "n" वह अवधि है जो वितरण आरंभ होने की तारीख को शुरू होती है और उस तारीख को समाप्त होती है जब ऋण अन्यथा देय हो जाएगा और जिसे दशमलव रूप से वर्षों और महीनों में व्यक्त किया गया है।

29. पारस्परिक ऋण और सेट ऑफ

यदि कारपोरेट ऋणी और अन्य पक्षों के मध्य पारस्परिक व्यवहार हो, वहां एक पक्ष की कुल देय राशियों को दूसरे पक्ष की कुल देय राशियों पर स्थापित किया जा सकता है जिससे कारपोरेट ऋणी या अन्य पक्ष को देय निवल राशि का पता लगाया जा सके।

स्पष्टीकरण: कारपोरेट ऋणी को x की ओर से 100/-रू. बकाया है। कारपोरेट ऋणी की ओर से x को 70/-रू. बकाया है। अत: सेट आफ के बाद x द्वारा कारपोरेट ऋणी को केवल 30/रू. देय है।

30. दावों का सत्यापन

इन दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से तीस दिनों के भीतर परिसमापक प्रस्तुत दावों का सत्यापन करेगा और वह दावों को संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या जैसा भी मामला हो स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

31. हितबद्धों की सूची

- (1) परिसमापक इन विनियमों के अधीन प्रस्तुत और स्वीकृत दावों के प्रमाण के आधार पर हितबद्धों की श्रेणी अनुसार सूची तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हो-
 - (क) स्वीकृत ऋणों की राशि, यदि लागू हो,
 - (ख) प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों की सीमा, यदि लागू हो।
 - (ग) हितबद्धों का ब्यौरा; और
 - (ঘ) आंशिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत प्रमाण और पूर्ण रूप से अस्वीकृत प्रमाण
- (2) परिसमापक दावों की प्राप्त की अंतिम तारीख से 45 दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को हितबद्धों की सूची दायर करेगा अौर इस सूची के विनियमन 12(3) में निर्दिष्ट रीति के अनुसार सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाएगी।
- (3) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उनके समक्ष दायर हितबद्धों की सूची में किसी भी प्रविष्टि के संशोधन का आवेदन कर सकता है, यदि, उसे इस संशोधन के लिए अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो और परिसमापक उस प्रविष्टि का संशोधन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेशानुसार करेगा।

- (4) परिसमापक धारा 42 के तहत की गई अपील का निस्तारण करते हुए न्यायनिर्णायक के निदेशानुसार दायर हितबद्धों की सूची में प्रविष्टि में संशोधन करेगा।
- (5) समय-समय पर यथा-संशोधित हितबद्धों की सूची को -
 - (क) दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा जांच हेतु उपलब्ध कराना;
 - (ख) सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और कारपोरेट ऋणी के गारंटीदाताओं द्वारा जांच हेतु उपलब्ध करवाना;
 - (ग) कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट यदि कोई हो पर दिखाया जाना होगा।

अध्याय-VI

आस्तियों की वसूली

32. विक्रय की रीति

एक परिसमापक -

- (क) किसी आस्ति की एकल आधार पर बिक्री कर सकता है
- (ख) विक्रय
 - (i) आस्तियों को संयुक्त रूप से बेच सकता है।
 - (ii) आस्तियों के एक समूह को सामूहिक रूप से, या
 - (iii) आस्तियों को पार्सल में बेच सकता है।

33. विक्रय का प्रकार

- (1) परिसमापक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को अनुसूची-I में निर्दिष्ट रीति के अनुसार नीलामी के माध्यम से विक्रय करेगा।
- (2) परिसमापक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को अनुसूची-I में निर्दिष्ट रीति के अनुसार निजी बिक्री के माध्यम से विक्रय करेगा। यदि
- (क) विनश्वर आस्ति हो।
- (ख) यदि आस्ति तुरंत नहीं बेची जाती है तो उसके मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से कमी आने की संभावना होती है;
- (ग) आस्ति किसी असफल निलामी की आरक्षित राशि से अधिक मूल्य पर बेची जाती है; या
- (घ) ऐसी बिक्री के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति ली जा चुकी है;

परंतु कि परिसमापक आस्तियों को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बिना निजी विक्रय के तरीके से नहीं बेचेगा –

- (क) कारपोरेट ऋणी के किसी संबंधित पक्ष को;
- (ख) उसके संबंधित पक्ष को; अथवा
- (ग) उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यावसायिक को।

(3) परिसमापक किसी आस्ति बिक्री प्रारंभ नहीं करेगा यदि उसका मानना है कि क्रेताओं, या कारपोरेट ऋणी के संबंधित पक्षों और क्रेताओं, या लेनदारों और क्रेता के बीच कोई दुरिभ संधि है, और इस संबंध में दुरिभ संधि करने वाले पक्षों के खिलाफ एक उचित आदेश मांगते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट देगा।

34. आस्ति ज्ञापन

- (1) धारा 36 के तहत परिसंपत्ति के परिसमापन पर परिसमापक ऐसे परिसमापन के प्रारंभ की तारीख से पचहतर दिनों के भीतर इस विनियमन के अनुसरण में एक आस्ति ज्ञापन तैयार करेगा।
- (2) आस्ति ज्ञापन में उन आस्तियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिनको बिक्री के माध्यम से वसूला जाना है:
 - (क) विनियमन 35 के अनुसरण में मूल्य निर्धारित आस्ति का मूल्य;
 - (ख) आस्तियों के समूह या आंशिक रूप से या संयुक्त रूप में बिक्री के लिए आस्तियों, जैसा भी मामला हो का मूल्य निर्धारण विनियमन 35 के अनुसरण में किया जाएगा, यदि विनियमन 32(ख) में विनिर्दिष्टानुसार बेचा जाना है।
 - (ग) विनियमन 32 के अनुसरण में बिक्री का उद्दिष्ट तरीका और बिक्री के कारण;
 - (घ) विनियमन 33 के अनुसरण में बिक्री का उद्दिष्ट माध्यम और बिक्री के कारण;
 - (ङ) बिक्री से वसूल होने वाली अपेक्षित राशि; और
 - (च) अन्य कोई सूचना जो आस्ति की बिक्री के लिए प्रासंगिक हो।
- (3) आस्ति ज्ञापन में उपविनियमन (2) में उल्लिखित के अतिरिक्त प्रत्येक आस्ति के संबंध में निम्नलिखित विवरण होगा :
 - (क) आस्ति का मूल्य;
 - (ख) वसूली का उद्दिष्ट तरीका एवं माध्यम, और उसके कारण;
 - (ग) वसुली की अपेक्षित राशि; और
 - (घ) अन्य कोई सूचना जो आस्ति की वसूली के लिए प्रासंगिक हो।
- (4) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्राथमिक रिपोर्ट के साथ आस्ति ज्ञापन दायर करेगा।
- (5) आस्ति ज्ञापन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमित के बिना समापन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं जाएगा।

35. बिक्री के लिए उद्दिष्ट आस्तियों का मूल्यांकन

- (1) परिसमापक विनियमन 34(2) के तहत अपेक्षानुसार आस्तियों के मूल्य निर्धारण के लिए न्यूनतम दो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करेगा।
- (2) विनियमन 7 के प्रावधान रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों जो कि उपविनियमन (1) के अनुसार नियुक्त किए गए हैं पर *यथोचित* परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (3) उपविनियमन (1) के तहत नियुक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के भौतिक सत्यापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसरण में गणना की गई आस्तियों की वसूली का अनुमानित मूल्य परिसमापक को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करेगा।
- (4) उपविनियमन(3) के तहत प्राप्त अनुमानों का औसत आस्तियों के मूल्यों के लिए माना जाएगा।

36. आस्ति बिक्री रिपोर्ट

- (1) किसी आस्ति की बिक्री पर परिसमापक आस्ति के संबंध में एक आस्ति बिक्री रिपोर्ट तैयार करेगा, जो प्रगति रिपोर्टों के साथ संलग्न होगी तथा जिसमें निम्नलिखित होगा :
 - (क) वसूली का मूल्य;
 - (ख) वसूली की लागत, यदि कोई हो तो;
 - (ग) बिक्री का तरीका और माध्यम;
 - (घ) यदि वसूली का मूल्य आस्ति ज्ञापन में दिए गए मूल्य से कम हो तो उसके कारण;
 - (ङ) वह व्यक्ति जिसे आस्ति बेची गई है; और
 - (च) बिक्री का अन्य कोई विवरण।

37. प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत हित की प्राप्ति

- (1) कोई प्रतिभूत लेनदार, जो धारा 52 के तहत अपने प्रतिभूत हित की प्राप्ति चाहता है, परिसमापक को उस मूल्य की सूचना देगा जिस पर वह अपनी प्रतिभूत आस्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है।
- (2) परिसमापक प्रतिभूत लेनदार को उपविनियमन (1) के तहत पावती के 21 दिन के भीतर सूचित करेगा यदि कोई क्रेता उपविनियमन 1 के तहत सूचना की तारीख से 30 की समाप्ति से पहले उपविनियमन 1 के बताए गए मूल्य से अधिक मूल्य पर प्रतिभूत आस्ति खरीदना चाहता है।
- (3) यदि परिसमापक प्रतिभूत लेनदार को उपविनियमन (2) के तहत आस्ति को खरीदने का इच्छुक किसी क्रेता के बारे में सूचित करता है तो प्रतिभूत लेनदार ऐसे व्यक्ति को आस्ति बेचेगा।
- (4) यदि परिसमापक उपविनियमन (2) के अनुसरण में प्रतिभूत लेनदार को सूचित नहीं करता है या उपविनियमन (2) के अनुसरण में क्रेता प्रतिभूत आस्ति को नहीं खरीदता है तो प्रतिभूत लेनदार उचित तरीके से प्रतिभूत आस्ति की वसूली कर सकता है परंतु यह कम से कम उपविनियम(1) में सूचित मूल्य के बराबर हो।
- (5) यदि प्रतिभूत आस्ति उपविनियमन (3) के तहत प्राप्त की जाती है तो प्रतिभूत लेनदार उपविनियमन (2) के तहत क्रेता के चयन की लागत वहन करेगा।
- (6) यदि प्रतिभूत आस्ति उपविनियमन (4) के तहत प्राप्त की जाती है तो परिसमापक उप विनियम (2) के तहत क्रेता के चयन की लागत वहन करेगा।
- (7) इन विनियमन के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि प्रतिभूत लेनदार वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित को प्रभावी करने का अधिनियम, 2002 (2002 का 54) या बकाया वसूली और शोधन अक्षमता विनियम, 1993 (1993 का 51) के तहत अपने प्रतिभूत हित का प्रवर्तन करता है।

38. बेची नहीं गई आस्तियों का वितरण

- (1) परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति से ऐसे आस्ति को हितधारकों में वितरित कर सकता है जो अपनी विशेष प्रकृति या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण आसानी से या लाभप्रद तरीके से नहीं बेची जा सकती है।
- (2) उपविनियमन (1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति मांगने के लिए आवेदन में निम्नलिखित होगा:
- (क) आस्ति की पहचान,
- (ख) आस्ति का मूल्य,
- (ग) आस्ति को बेचने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण, यदि कोई हो तो, और
- (घ) ऐसे वितरण के कारण।

39. बकाया रुपयों की वसूली

परिपरिसमापक हितधारकों के मूल्यों के अधिकतम प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध तरीके से कारपोरेट ऋणी की सभी आस्तियों और बकाया की वसूली और प्राप्ति करने का प्रयत्न करेगा।

40. परिसमापक को अनाहूत पूंजी और अभुक्त पूंजी के वितरण की प्राप्ति

- (1) परिसमापक कारपोरेट ऋणी के किसी अंशदाता से बकाया किसी भी राशि की वसूली करेगा।
- (2) कंपनी की अनाहूत पूंजी पर किसी शुल्क या ऋण भार होने के बावजूद भी परिसमापक कंपनी की अनाहूत पूंजी को मांगने तथा वसूलने और समापन से पहले मांगे गए बकाया को एकत्रित करने का पात्र होगा। ऐसा वह अंशदाता को नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का एक नोटिस देकर करेगा, किंतु इस तरह प्राप्त सभी धन को धारित के किसी ऐसे शुल्क या ऋणभार के अधिकारों के अधीन रखेगा।
- (3) किसी अंशदाता को कोई वितरण नहीं किया जाएगा जबतक कि वह कारपोरेट ऋणी के वैधानिक दस्तावेजों में अपेक्षितनुसार अनाहूत या असंगत पूंजी का अंशदान नहीं करता है।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय और अनुसूची 1 के उद्देश्य के लिए, 'आस्तियों' में एक आस्ति, सभी आस्तियां, आस्तियों का एक समूह या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, जिन्हें बेचा जाना है, शामिल होंगे।

अध्याय VII

समापन से आमदनी तथा आमदनी का वितरण

41. पूरे रुपयों का भुगतान किसी अनुसूचित बैंक के बैंक खाते में किया जाए

- (1) परिसमापक 'परिसमापन में' अनुबंधों का अनुसरण करते हुए कारपोरेट ऋणी के पूरे रुपयों की प्राप्ति के लिए किसी अनुसूचित बैंक में कारपोरेट ऋणी के नाम से खाता खोलेगा।
- (2) परिसमापक उपविनियमन (1) के तहत खोले गए बैंक खाते में समस्त व्यय के जमा का भुगतान जिसमें कारपोरेट ऋणियों के परिसमापक के रूप में उसके द्वारा प्राप्त चैक और डिमांड ड्राफ्ट भी सम्मिलित होंगे और प्रत्येक दिन की वसूलियां अगले कार्य दिवस से अधिक विलम्ब नहीं करते हुए बिना किसी कटौती के बैंक खाते में जमा कराई जाएंगी।
- (3) परिसमापक समापन लागतें और अन्य किसी राशि का भुगतान करने के लिए एक लाख रुपए या न्याय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए गए अनुसार इससे अधिक राशि की नकदी रख सकता है।
- (4) परिसमापक द्वारा 5 हजार रुपए से अधिक के सभी भुगतान चैक आहरित करके या बैंक खाते के निमित ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन द्वारा किए जाएंगे।

42. वितरण

- (1) संहिता की धारा 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापक हितधारकों की सूची को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को दायर किए बिना वितरण प्रारंभ नहीं करेगा।
- (2) परिसमापक प्राप्तियों के आमदनी का वितरण राशि प्राप्ति से छह माह के भीतर हितधारकों को करेगा।
- (3) ऐसे वितरण से पहले दिवाला संकल्प प्रक्रिया लागतों, यदि कोई है तो, और समापन लागतों की कटौती की जाएगी।

43. रुपए लौटाना

कोई हितधारक वितरण में उसके द्वारा प्राप्त उन रुपयों को लौटाएगा जिनके लिए वितरण के समय वह पात्र नहीं था, या बाद में भी पात्र नहीं है।

44. समापन की समाप्ति

- (1) परिसमापक कारपोरेट ऋणी को दो वर्षों की अवधि के भीतर समाप्त कर देगा।
- (2) यदि परिसमापक दो वर्ष के भीतर कारपोरेट ऋणी को समाप्त करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसा समापन को जारी रखने के लिए एक आवेदन करेगा और समापन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किए जाने के कारण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

45. समाप्ति से पूर्व अंतिम रिपोर्ट

- (1) जब कारपोरेट ऋणी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है तो परिसमापक यह दिखाते हुए एक समापन लेखा तैयार करेगा कि समापन किस तरह किया गया और कारपोरेट ऋणी की आस्तियों को किस तरह समाप्त किया गया।
- (2) यदि कारपोरेट ऋणी को विघटित करने की वास्तविक लागत प्राथमिक रिपोर्ट में दिखाई अनुमानित लागत से अधिक होती है तो परिसमापक उसे कारण सहित उल्लेखित करेगा।
- (3) अंतिम रिपोर्ट संहिता की धारा 54 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समापन के लिए आवेदन का एक भाग होगी।

46. समापन के अदावाकृत आमदनी या अवितरित आस्तियां

- (1) धारा 54(2) के अन्तर्गत समापन के लिए अंतिम आदेश पारित करने से पहले, परिसमापक समापन के अदावकृत आमदनी या अवितरित आस्तियों या समाप्ति के आदेश की तारीख को उसके पास शेयरधारकों को भुगतान योग्य अन्य किसी बकाया को लोक लेखा खाते के कंपनी समापन खाते में, जमा करने भुगतान के एक आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
- (2) कोई परिसमापक, जो ऐसे रुपए रखता हो जो इस विनियमन के तहत कंपनी समापन खाते में उसके द्वारा जमा करवाए जाने चाहिए, प्रतिवर्ष 12% की दर से रखी गई राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा और बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे जुर्माने का भुगतान भी करेगा।
- (3) परिसमापक उप विनियमन(1) में विनिर्दिष्ट किसी भुगतान को करते समय सम्मिलित राशि का प्रकार, उस में भाग लेने के पात्र हितधारकों के नाम और अंतिम बार बताए गए पतों, वह राशि जिसके लिए प्रत्येक पात्र हैं और उनके दावे की प्रकृति बताते हुए एक विवरण उस प्राधिकरण, जिसमें कारपोरेट ऋणी रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
- (4) परिसमापक उपविनियमन (2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा किए गए रुपयों की पावती का पात्र होगा, और ऐसी पावती उस संबंध में परिसमापक का अमोघ दायित्व होगा।
- (5) कंपनी समापन खाते में भुगतान किए गए किन्हीं रुपयों की पात्रता का दावा करने वाला कोई व्यक्ति दावा किए गए रुपयों के भुगतान के लिए एक आदेश हेतु बोर्ड में आवेदन कर सकता है; जो, यदि तुष्टि की जाती है कि ऐसा व्यक्ति दावा की गई पूर्ण या आंशित राशि का हकदार है तो उसकी बकाया राशि के भुगतान के लिए उससे ऐसी प्रतिभूति लेने के बाद एक आदेश दे सकता है।
- (6) इस विनियमन के अनुसरण में कंपनी समापन खाते में जमा करवाई गई कोई राशि, जो 15 वर्षों की एक अवधि के बाद भी अदावाकृत रह जाती है तो उसे केंद्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

अनुसूची ।

निजी बिक्री या बोली लगाने का तरीका

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 35 के तहत)

1. नीलामी

- (1) यदि कोई आस्ति नीलामी के माध्यम से बेची जाती है तो परिसमापक यहां विनिर्दिष्ट तरीके से ऐसा करेगा।
- (2) परिसमापक आस्ति की बिक्री के लिए विपणन व्यावसायिकों, यदि अपेक्षित हो, की सहायता से एक विपणन रणनीति तैयार करेगा। इस नीति में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा –
 - (क) विज्ञापन जारी करना;
 - (ख) आस्ति हेतु सूचना पत्र तैयार करना;
 - (ग) बोर्ड द्वारा निर्धारित और कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट, यदि कोई हो तो पर बिक्री का एक नोटिस डालना; और
 - (घ) एजेंटों के साथ संपर्क

- (3) परिसमापक बिक्री के निबंधन एवं शर्तें तैयार करेगा जिसमें आरक्षित मूल्य, बयाना राशि और पूर्व-बोली अहर्ताएं (यदि कोई है तो) शामिल होंगी।
- (4) आरक्षित मूल्यों विनियम 34 को अनुसरण में आस्ति का प्राप्त मूल्य होगा। ऐसा मूल्यांकन छह माह से अधिक पुराना नहीं होगी। यदि ऐसे मूल्य पर कोई निलामी असफल रहती है तो परिसमापक बाद में निलामी आयोजित करने के लिए आरक्षित मूल्य को कम करके ऐसे मूल्य से 75% तक कम कर सकता है।
- (5) परिसमापक विनियम 12(3) में विनिर्दिष्ट तरीके में किसी निलामी की सार्वजनिक घोषणा करेगा।
- (6) परिसमापक इच्छुक क्रेताओं द्वारा आवश्यक तत्परता से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- (7) परिसमापक आस्तियों की बिक्री बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी ऑनलाइन पोर्टल, यदि कोई है तो, पर इलेक्ट्रॉनिक निलामी के माध्यम से करेगा जहां इच्छुक क्रेता बोली लगाने के लिए रजिस्टर, बोली और अपनी ऑनलाईन बोली के लिए स्वीकृत किए जाने की पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
- (8) यदि परिसमापक का मानना है कि भौतिक निलामी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को अधिकतम कर सकती है और लेनदारों के हित में है तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमित प्राप्त करने के बाद भौतिक निलामी के द्वारा आस्तियों की बिक्री कर सकता है।
- (9) कोई भी निलामी पारदर्शी होगी और किसी भी स्थान से लगाई गई सबसे अधिक बोली अन्य सभी बोली लगाने वाले को दिखाई जाएगी।
- (10) यदि परिसमापक का यह मानना है कि जहां निलामी में बोली की राशि दिखाई नहीं देने से वहां आस्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति होने की संभावना है और लेनदारों के हित में है तो वह इस तरीके से निलामी आयोजित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से इसकी अनुमति, लिखित में, मांग सकता है।
- (11) यदि अपेक्षित है तो परिसमापक आस्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति के लिए बार-बार निलामी आयोजित कर सकता है और लेनदारों के हितों को बढ़ावा दे सकता है।
- (12) निलामी की समाप्ति पर सर्वाधिक बोली लगाने वाले को उस तारीख, जब वह शेष बिक्री मूल्य के लिए आमंत्रित किया गया था, के 15 दिनों के भीतर शेष बिक्री मूल्य देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पूरी राशि के भुगतान पर, बिक्री समाप्त मानी जाएगी, परिसमापक बिक्री प्रमाणपत्र या ऐसी आस्ति के हस्तांतरण पर बिक्री का प्रमाणपत्र देगा और आस्तियां बिक्री की शर्तों में उल्लिखित तरीके से उसे दे दी जाएगी।

2. निजी बिक्री

- (1) जहां कोई आस्ति निजी बिक्री के माध्यम से बेची जानी है वहां परिसमापक यहां विनिर्दिष्ट तरीके में बिक्री आयोजित करेगा।
- (2) परिसमापक निजी बिक्री द्वारा बेची जाने वाली आस्तियों के लिए इच्छुक क्रेताओं तक पहुंचने की एक रणनीति तैयार करेगा।
- (3) निजी बिक्री खुदरा दुकानों के माध्यम से, या अन्य किन्हीं साधनों के द्वारा, जिनसे आस्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति होने की संभावना होती है, इच्छुक क्रेताओं या उनके एजेंटों के साथ संपर्क करके की जा सकती है।
- (4) बिक्री, बिक्री की शर्तों के अनुसरण में समाप्त मानी जाएगी।
- (5) उसके बाद आस्तियां बिक्री की शर्तों में उल्लिखित तरीके से आस्तियों के लिए पूरा भुगतान प्राप्त होने पर क्रेता को दे दी जाएगी।

अनुसूची-॥

प्ररूप-क

पक्षकारों के साथ हुए विचार-विमर्श की रिपोर्टिंग के लिए प्रपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 8 के अधीन]

प्रत्येक पक्षकार या सदृश पक्षकारों के समूह द्वारा उपयोग के लिए पृथक प्रपत्र

समापन का नाम और पंजीकरण संख्या:	
कारपोरेट ऋणी, जिसका समापन किया जा रहा है, का नाम:	
समापन मामला संख्या:	
पक्षकार का नाम:	
विचार-विमर्श की तारीख (यदि व्यक्तिगत रूप से हुआ है):	
पक्षकारों से प्राप्त पत्रों की संख्या और तारीखें:	
विचार-विमर्श का सारांश:	

अनुसूची-॥

प्ररूप-ख

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अधीन]

[कारपोरेट ऋणी का नाम] के पक्षकारों के ध्यानाकर्षण के लिए

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख
3.	प्राधिकारी जिसके अधीन कारपोरेट ऋणी को निगमित/पंजीकृत किया गया है
4.	कारपोरेट ऋणी का कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता
6.	दिवाला समाधान प्रक्रिया की समापन तारीख
7.	कारपोरेट ऋणी का समापन प्रारंभ करने की तारीख
8.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या और पंजीकरण संख्या
9.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

यह सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (पीठ का नाम) ने (इस संहिता की धारा 33 के अधीन समापन का आदेश पारित करने की तारीख) को (कारपोरेट ऋणी का नाम) का समापन प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

(कारपोरेट ऋणी का नाम) के पक्षकारों को मद संख्या 8 पर दर्शाए गए पते में परिसमापक को (समापन प्रारंभ होने की तारीख के तीस दिन बाद आने वाली तारीख लिखें) को या इससे पहले उनके दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों के मिथ्या या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए हर्जाना लगया जा सकता है।

परिसमापक का नाम औह हस्ताक्षर:

तारीख और स्थान:

अनुसूची-II

प्ररूप-ग

श्रमिकों और कर्मचारियों के अलावा परिचालन लेनदारों द्वारा दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 17 के अधीन]

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

(परिसमापक का नाम)

(पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित है)

प्रेषक

(परिचालन लेनदार का नाम और पता)

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदया/महोदय,

(परिचालन लेनदार का नाम) द्वारा (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं:

1.	परिचालन लेनदार का नाम (यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण देता है, यदि कोई भागीदार या व्यक्तिगत कंपनी सभी भागीदारों या व्यक्तियों के पहचान अभिलेख उपलब्ध कराती है)	
2.	पत्र व्यवहार के लिए परिचालन लेनदार का पता	
3.	समापन आरंभ होने की तारीख को दावे की कुल राशि जिसमें ब्याज शामिल है और दावे की प्रकृति का विवरण	मूल: ब्याज: कुल दावा:
4.	दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण प्रमाणित किया जा सकता है	gri arm.
5.	विवाद के विवरण और मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही लंबित रहने के अभिलेख	
6.	ऋण के ब्यौरे कैसे और कब खर्च किया गया	
7.	कारपोरेट ऋणी और परिचालन लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिनका उल्लेख दावे प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है	
8.	वस्तुओं या संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व जारी रखने का विवरण जिसके लिए ऋण या अन्य कोई प्रतिभूति है	
9.	उसके पक्ष में किसी हस्तांतरण या ऋण के अंतरण के विवरण	
10.	बैंक खाते के विवरण जिसमें समापन की प्राप्तियों में परिचालन लेनदार का हिस्सा अंतरित किया जा सकता है	
11.	दावे के समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों का विवरण	(i)
		(ii)
		(iii)

	ादार या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(याद यह पार नाम स्पष्ट अक्ष	चालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न करें) कों में
	थ स्थिति या संबंध
	वाले व्यक्ति का पता
*पैन, पासपोर्ट	, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र
	शपथ पत्र
l. मैं (अ कहता हूँ कि:	मिसाक्षी का नाम) वर्तमान में (अभिसाक्षी का पता) का निवासी स्वावलंबी तथा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और
1.	उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20 का दिन और जो
	अभी भी है, ने के लिए रुपए की राशि में (कृपया मूल्य बताएं) मुझे [या मुझे
	और (सह भागीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप से और वास्तव में ऋण लिया है।
2.	उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है:
	[ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]
3.	मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।
4.	मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे/हमारे आदेश से किसी व्यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:
	[कारपोरेट ऋणी और परिचालन लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है।]
	से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20 के दिन के को पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
नोटरी/शपथ ३	ग्रायुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन			

मैं उपर्युक्त	में अभिसाक्षी यह सत्यापित अ	गौर पुष्टि करता हूँ कि इस	शपथनामे के पैरा	_ से	्तक की अंतर्वस्तु मेरी
जानकारी	और विश्वास के अनुसार सत्य	और सही है। इसमें कुछ भ	ी मिथ्या नहीं है और न	ही कोई जानक	ारी छुपायी गई है।
20	के दिन	_ को	_पर सत्यापित		
				3	अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची-II

प्ररूप-घ

वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 18 के अधीन]

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

(परिसमापक का नाम)

(पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित है)

प्रेषक

(वित्तीय लेनदार का नाम और पता)

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (वित्तीय लेनदार का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदया/महोदय,

(वित्तीय लेनदार का नाम) द्वारा (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं:

1.	वित्तीय लेनदार का नाम	
	(यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण देता है, यदि कोई भागीदार या व्यक्तिगत कंपनी सभी भागीदारों या व्यक्तियों के पहचान अभिलेख उपलब्ध कराती है)	
2.	पत्र व्यवहार के लिए वित्तीय लेनदार का पता	
3.	समापन आरंभ होने की तारीख को दावे की कुल राशि जिसमें ब्याज	मूल:
	शामिल है और दावे की प्रकृति का विवरण [सावधी ऋण, प्रतिभूत,	ब्याज:
	अप्रतिभूत]	कुल दावा:
4.	दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण प्रमाणित किया जा सकता है	
5.	अधिकरण के किसी न्यायालय के किसी आदेश का विवरण जिसने ऋण का	
	भुगतान न करने पर निर्णय दिया है	
6.	ऋण के ब्यौरे कैसे और कब खर्च किया गया	

7.	कारपोरेट ऋणी और वित्तीय लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा,	
	पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिनका उल्लेख	
	दावे में प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है	
8.	धारित प्रतिभूति, प्रतिभूति का मूल्य और जिस तारीख को वह दी गई थी,	
	उसके ब्यौरे	
9.	उसके पक्ष में किसी हस्तांतरण या ऋण के अंतरण के विवरण	
10.	बैंक खाते के विवरण जिसमें समापन की प्राप्तियों में वित्तीय लेनदार का	
	हिस्सा अंतरित किया जा सकता है	
11.	दावे के समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों का विवरण	(i)
		(ii)
		(iii)

वित्तीय लेनदार या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(यदि यह वित्तीय लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न करें)
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

र्ट, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र	
शपथ पत्र	
अभिसाक्षी का नाम) वर्तमान में (अभिसाक्षी का पता) का निवासी सत्यनिष्ठा तथा दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ अ	गैर
उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20 का दिन और	जो
अभी भी है, ने के लिए रुपए की राशि में [कृपया मूल्य बताएं] मुझे [या म्	ुझे
और (सह भागीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप और वास्तव में ऋण लिया है।	से
उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया	है:
[ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]	
मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।	
मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे/हमारे आदेश	से
किसी व्यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि	या
प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:	
[कारपोरेट ऋणी और वित्तीय लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्पि	रक
संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।]	
से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20 के दिन के के	को
पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित	
आयुक्त	
अभिसाक्षी के हस्ताध	शर
	शपथ पत्र अभिसाक्षी का नाम) वर्तमान में (अभिसाक्षी का पता) का निवासी सत्यिनष्ठा तथा दृढ़ता से पृष्टि करता हूँ अ उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20 का दिन और विश्वी की है, ने के लिए रुपए की राशि में [कृपया मूल्य बताएं] मुझे [या म् और (सह भागीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप और वास्तव में ऋण लिया है। उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया [ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची] मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं। मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे/हमारे आदेश किसी व्यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया: [कारपोरेट ऋणी और वित्तीय लेनदार के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्पि संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।] से पृष्टि करता हूँ कि इस पर 20 के दिन के के पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित

स	त्य	ाप	1

मैं उपर्युक्त	में अभिसाक्षी यह सत्यापित	और पुष्टि करता हूँ कि इस	शपथनामे के पैरा	_ से	तक की अंतर्वस्तु मेरी
जानकारी	और विश्वास के अनुसार सत्य	और सही है। इसमें कुछ ध	भी मिथ्या नहीं है और न	न ही कोई जानक	ारी छुपायी गई है।
20	के दिन	को	_ पर सत्यापित		
				3	अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची-II

प्ररूप-ड.

किसी श्रमिक या कर्मचारी द्वारा दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 19 के अधीन]

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

(परिसमापक का नाम)

(पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित है)

प्रेषक

(श्रमिक/कर्मचारी का नाम और पता)

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (श्रमिक/कर्मचारी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदया/महोदय,

(श्रमिक/कर्मचारी का नाम) द्वारा (कारपोरेट ऋणी का नाम) के समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं:

1.	श्रमिक/कर्मचारी का नाम	
2.	पत्र व्यवहार के लिए श्रमिक/कर्मचारी का पता	
3.	पत्र व्यवहार के लिए श्रमिक/कर्मचारी का नाम और ई-मेल पता (यदि हो)	
4.	दावे की कुल राशि	
	[समापन प्रारंभ होने की तारीख को ब्याज सहित]	
5.	दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण प्रमाणित किया जा सकता है	
6.	अधिकरण के किसी न्यायालय के किसी आदेश का विवरण जिसने ऋण का	
	भुगतान न करने पर निर्णय दिया है	
7.	विवरण की दावे कैसे और कब उत्पन्न हुए	
8.	कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच कोई पारस्परिक जमा,	
	पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिनका उल्लेख	
	दावे में प्रतितुलन के लिए किया जा सकता है	
9.	बैंक खाते के विवरण जिसमें समापन की प्राप्तियों में श्रमिक/कर्मचारी का	

	हिस्सा अंतरित किया जा सकता है	
10.	दावे के समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों का विवरण	(i)
		(ii)
		(iii)

श्रमिक/कर्मचारी या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
[यदि यह श्रमिक/कर्मचारी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न करें]
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

शपथ पत्र

	Ţ	ा (आभसाक्षा का नाम) वतमान म (आभसा	क्षा का पता) का ान	वासा सत्यानष्ठा तथा दृढ़	ता स पुष्ट करता हू आर
कहर	ता हूँ वि	के:			
	1. 🥫	उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने	की तारीख अर्थात् 2	0 का दिन	और जो अभी
	3	नी है, ने के लिए <u>_</u>	रुपए की रा	शे में [कृपया मूल्य बताएं] मुझे [या मुझे और (सह
	3	नागीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदार	ों को व्यापार में या,	जैसा भी मामला हो] उचि	त रूप से और वास्तव में
	5	ऋण लिया है ।			
	2.	उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे व	रावे के संबंध में मैंने ि	नेम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावे	जों पर विश्वास किया है:
		[ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की	ो सूची]		
	3.	मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के ब	अनुसार उक्त दस्तावेज	न सही, मान्य और वास्तवि	कि हैं।
	4.	मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से वि	क्सी एक ने या मेरी/ह	हमारी जानकारी या विश्वा	स में मेरे/हमारे आदेश से
		किसी व्यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लि	ाए निम्नलिखित के ि	सेवाय और इसे छोड़कर ी	किसी रीति में संतुष्ठि या
		प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका व	कोई भाग प्राप्त नहीं ि	केया:	
		[कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी	के बीच कोई पारस्	गरिक जमा, पारस्परिक त्र	हृण या अन्य पारस्परिक
		संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के	लिए उल्लेख किया ज	ा सकता है।]	
में '	सत्यन्	ोष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 2	20 के दिन	के	को
		पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित			
नोट	री/शप	थ आयुक्त			
		9			

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स	त्य	ΙЧ	1

मैं उपर्युक्त	में अभिसाक्षी यह सत्यापित	और पुष्टि करता हूँ कि इस	शपथनामे के पैरा	से	तक की अंतर्वस्तु मेरी
जानकारी	और विश्वास के अनुसार सत्य	और सही है। इसमें कुछ भ	ी मिथ्या नहीं है और न	ही कोई जानक	ारी छुपायी गई है।
20	_. के दिन	_ को	_ पर सत्यापित		
				3	अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची ॥

प्ररूप-च

श्रमिक या कर्मचारी के प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा दावे का सबूत

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 19 के तहत)

\sim .	
ादनाक	

सेवा में.

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिए अनुसार पता]

प्रेषक

[श्रमिक या कर्मचारी के प्राधिकृत प्राधिकारी का नाम और पता]

विषय : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत [कारपोरेट ऋणी का नाम] के समापन के संबंध में दावे का सबूत।

महोदय/महोदया.

मैं [श्रमिक/कर्मचारी के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम] निवासी [श्रमिक/कर्मचारी के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि का पता] उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी द्वारा नियुक्त श्रमिक और कर्मचारी की ओर से सत्यनिष्ठा से पृष्टि करता हूँ और कथित करता हूँ कि:

- 1. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी, समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् दिनांक _____ को और अभी तक सही और उचित मायनों में कुछ लोगों का देनदार है जिनमें नाम, पते और विवरण नीचे अनुलग्नक में दिए गए हैं, ऐसे अनुलग्नक में उनके नामों के सामने मजदूरी, पारिश्रमिक और उनकी अन्य बकाया राशि भी उनके नामों के सम्मुख दी गई है, जो कारपोरेट ऋणी की सेवा में कर्मकारों या कर्मचारियों द्वारा कारपोरेट ऋणी को ऐसी अवधी के दौरान दी गई सेवाओं के लिए उक्त अनुलग्नकों में क्रमशः उनके नामों के सामने दिए गए हैं।
- 2. उक्त राशियों या उनके किसी भाग के लिए, ना तो उन्होंने और न ही उनमें से किसी ने ऋणमुक्ति या प्रतिभूति, जैसा भी हो, का निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई तरीका प्राप्त नहीं किया गया -

[कृपया कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच किसी म्यूचुअल जमा, म्यूचुअल बकाया, या अन्य म्युचुअल लेन-देन का विवरण दें, जो उक्त दावे के मुकाबले में निर्धारित हों|

हस्ताक्षर:

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक

1. कर्मचारियों/श्रमिकों का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारियों/श्रमिकों	पहचान संख्या	कुल बकाया	बकाया राशि	रोजगार संविदा
	के नाम	(पैन/पासपोर्ट संख्या/आधार	राशि और दावे	की अवधि	और अन्य सबूतों
		संख्या/निर्वाचन आयोग	की प्रकृति का		सहित ऋण के
		द्वारा जारी किया गया	विवरण		साक्ष्यों का
		पहचान पत्र और कर्मचारी			विवरण
		पहचान सं. यदि कोई है तो			
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

- 2. कारपोरेट ऋणी द्वारा किस प्रकार बकाया रखने के ब्यौरे और किसी झगड़े, मुकदमे के बकाया अभिलेख या मध्यस्था कार्रवाइयों के ब्यौरे दें।
- 3. कारपोरेट ऋणी और श्रमिकों/कर्मचारियों के बीच किसी म्युचुअल जमा, म्युचूअल बकाया या अन्य म्यूचुअल लेनदेन का ब्यौरा दें, जो प्रति तुलन में लाए जा सकते हैं।
- 4. कृपया दावे को सिद्ध करने के लिए आधारित दस्तावेजों की सूची तैयार करें और संलग्न करें।

शपथ पत्र

I.	मैं (अभिसाक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) सत्यनिष्ठा तथा दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ और कहता हूँ कि:
	. उपर्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20 का दिन और जो अर्भ गी है, [कृपया रोजगार की प्रकृति और अवधि बताएं] के लिए रु. की राशि में कार्मिक और कर्मचारी वे इचित और सही मायनों में ऋणी है।
	ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]
	3. मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।
	l. श्रमिकों/कर्मचारियों या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे/हमारे आदेश से किर्स यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उत्त तिश या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:
	कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक संव्यवहार वे वेवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।]
मैं —	तत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि इस पर 20 के दिन के के के पर मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
नो	ति/शपथ आयुक्त

_		_	
स	त्य	ΙЧ	1

•	में अभिसाक्षी यह सत्यापित औ और विश्वास के अनुसार सत्य उ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•
20	के दिन	_ को	_पर सत्यापित		
				3	अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अनुसूची ॥

प्ररूप-छ

किसी अन्य हितधारक द्वारा किए गए दावे का सबूत

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 20 के तहत)

\sim .	
ादनाक	

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिए अनुसार पता]

प्रेषक

[अन्य हितधारक का नाम और पता]

विषय : दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत [कारपोरेट ऋणी का नाम] के समापन के संबंध में दावे का सबूत प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदय,

[अन्य हितधारक का नाम] एतदद्वारा [कारपोरेट ऋणी का नाम] के मामले में समापन के संबंध में दावे का यह सबूत प्रस्तुत करता है। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1.	अन्य शेयरधारक का नाम	
	(यदि कोर्च नियमित निकास सक्कार संख्या और नियमन का सक्का	
	(यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का सबूत प्रदान करती है। यदि कोई साझेदार या व्यक्ति के पहचान अभिलेख*	
	प्रदान करता है।	
2.	पत्राचार के लिए अन्य हितधारक का पता और ई-मेल	
3.	समापन प्रारंभ होने से किसी ब्याज सहित दावे की कुल राशि और	मूल :
	दावे की प्रकृति	दावा
		ब्याज :
		कुल दावा :
4.	ऐसे दस्तावेजों का विवरण जिनसे दावा सिद्ध किया जा सकता है।	

5.	दावा कैसे और कब किया गया, इसका विवरण	
6.	कारपोरेट ऋणी और हितधारक के बीच कोई म्युचुअल जमा,	
	म्युचुअल ऋण या अन्य म्युचुअल लेनदेनो का विवरण जिनसे दावों	
	का प्रतितुलन किया जा सके।	
7.	उन वस्तुओं या संपत्तियों के संबंध में शीर्षक के किसी प्रतिधारण का	
	विवरण जो दावों का संदर्भ देते हों	
8.	उसके हित में ऋण के हस्तांतरण या किसी कार्य का विवरण	
9.	उस बैंक खाते का विवरण जिसमें समापन के लाभांशों का अन्य	
	हितधारकों का हिस्सा हस्तांतरित किया जा सके।	
10.	दावे के समर्थन में दस्तावेजों की सूची तैयार करें और संलग्न करें।	(i)
		(ii)
		(iii)
		\''' <i>)</i>

अन्य हितधारक या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(कृपया प्राधिकार संलग्न करें, यदि यह अन्य शेयरधारक की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है)
स्पष्ट अक्षरों में नाम
लेनदार के संबंध में स्थिति
हस्ताक्षरकर्ता का पता

*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

शपथ पत्र

. मैं ((अभिसाक्षी का पूरा नाम, पता और व्यवसाय लिखें) सत्यनिष्ठा तथा दृढ़ता से पुष्टि करता हूँ और कहता हूँ कि:
भी भा	र्युक्त कारपोरेट ऋणी समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20 का दिन और जो अभी है, ने के लिए रुपए की राशि में [कृपया मूल्य बताएं] मुझे [या मुझे और (सह गीदारों का नाम लिखें), मेरे सह भागीदारों को व्यापार में या, जैसा भी मामला हो] उचित रूप से और वास्तव में ग लिया है।
2.	उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मैंने निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विश्वास किया है:
	[ऋण का प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची]
3.	मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार उक्त दस्तावेज सही, मान्य और वास्तविक हैं।
4.	मैंने या मेरे भागीदारों ने या उनमें से किसी एक ने या मेरी/हमारी जानकारी या विश्वास में मेरे/हमारे आदेश से किसी व्यक्ति में मेरे/हमारे प्रयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय और इसे छोड़कर किसी रीति में संतुष्ठि या प्रतिभूति के लिए उक्त राशि या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं किया:
	[कारपोरेट ऋणी और श्रमिक/कर्मचारी के बीच कोई पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक

संव्यवहार के विवरण दें जिनका दावे के लिए उल्लेख किया जा सकता है।]

मैं सत्य	निष्ठा से प	पुष्टि करता	हूँ कि इ	इस पर	20	वे	ह दिन _−			. के _			_ को
		_ पर मेरे सग	नक्ष हस्ताक <u>्ष</u>	रित									
नोटरी/श	ापथ आयुक्त												
(13 (1) (अभिसाक्ष	ਜਿ ਛੇ ਜ	.
											आमसाद	1। कह	स्ताझर
					3	पत्यापन	-						
*	- 		<u> </u>					- -	7			· · · · ·	- 20
_		ाक्षी यह सत्य् ास के अनुसा		-									-
									. 61 1	12 9111	m <1 & 1	171 72	् ए।
											अभिसाक्ष	री के ह	स्ताक्षर
					2 TC		11				-11 11 11 11 1	6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	, ,	^	_	_		नुसूची ।			`	C C	- >	.	
	•	दिवाला और •			-		-					-	_
_	पूची में निहि मझे, कर स	हेत प्रारूप सृ कटा है।	्चनात्मक प्र	प्रकृति के	हैं और	परिसम	ापक समा	पन के तथ्य	र्गो और	परिस्थि	गतियों में	संशोध	न यदि
जायत स	ामशा, पार ता	नग्रा हा				कड़ बर्ह	A						
						•	-						
		नाम । २				. (समाप	1				T 5		
तारीख	विवरण	लेजर फोलियो	प्राप्ति				भुगतान			शेष			
		संख्या											
			वाउचर ∸	रोकड़	बैंक	कुल	वाउचर ∸	रोकड़	बैंक	कुल	रोकड़	बैंक	कुल
1	2	3	सं. 4	5	6	7	सं. 8	9	10	11	12	13	14
			•		-	•			10		1-	10	
									, .				
	`के अंतर्गत अधीन रखा	लेखाशीर्ष जि जा सके।	नेससे प्रवि	ष्टे संबंधि	त है क	रिशोय	ा जाना च	हिए जिस	से प्रवि	ष्टि को	उचित शी	षि में स	गमान्य
(191 \ 1)	जवाग (बा	आ रानम			2011	गान्य ख	ा ता						
				- -			(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 \				
			कारपारट						117)				
							(लेख 			1	~		
तारीख		विवरण	l		नामे _{5.}			जमा रु.			शेष रु.		
								ו					
1		2		3	3			4			5		
∫ 2 01∙													

1. सामान्य खाते को ऐसे लेखाशीर्ष के तहत रखा जाए जैसा परिसमापक आवश्यक और उचित समझे। निम्नलिखित लेखाशीर्ष को उपर्युक्त पाया गया है:-

- (1) आस्ति लेखा
- (2) निवेश लेखा
- (3) लेखा ऋण और बकाया लेखा
- (4) निविदाएं (काल)
- (5) प्राप्त किराया
- (6) प्रतिभूतियों और जमाओं पर ब्याज
- (7) अग्रिम प्राप्तियां
- (8) विविध प्राप्तियां भुगतान
- (9) स्थापना
- (10) विधि प्रभार
- (11) किराया, दरें और कर
- (12) फीस और कमीश्र खाता
- (13) अन्य खर्चें
- (14) उचंत खाता
- (15) प्रतिभूत लेनदार
- (16) लाभांश खाता
- (2) सामान्य खाते में प्रविष्ठियां रोकड़ बही से की जाएं।
- (3) रोकड़ बही में दर्शाए गए रोकड़ और बैंक शेष को देखते हुए सामान्य खाते में विभिन्न लेखाशीर्षों के कुल नामे बकाया और कुल जमा शीर्ष में समानता होनी चाहिए। इन राशियों की महीने में एक बार समतुलन किया जाना चाहिए।

बैंक खाता अनुसूचित बैंक के साथ कारपोरेट ऋणी (समापनाधीन) का खाता

तारीख	विवरण	जमाएं ।		निकासी	शेष	
		बीजक संख्या	₹.	चेक संख्या	₹.	₹.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

आस्तियों का रजिस्टर

क्र.सं.	आस्तियों का	कब्जे में लेने		बिक्री की	वसूली की	राशि	टिप्पणी
	विवरण	की तारीख	रजिस्टर की	तारीख	तारीख		
			क्रम संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

निदेशः

परिसमापक के प्रतिभूतियों में निवेश और बकाया जिनकी वसूली की जानी है को सिवाए कारपोरेट ऋणी की सभी आस्तियां की प्रविष्टि रजिस्टर में की जानी चाहिए।

प्रतिभूती और निवेश रजिस्टर

क्रम संख्या	याचिका	निवेश की	निवेश की	निवेश की	प्राप्त लाभांश		टिप्पणी
	संख्या और	तारीख	प्रकृति और	गई राशि	या ब्याज	तारीख	
	कारपोरेट		विवरण		प्राप्ति तारीख		
	ऋणी का		जिसमें		के साथ		
	नाम		निवेश किया				
			गया है				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

लेखा ऋण और बकाया रजिस्टर

क्रम सं.	ऋणी का	ऋण का	बकाया	सीमा के	वसूली की	कृत	वसूली की	दावा	टिप्पणी
	नाम और	विवरण	राशि	आधार	गई राशि	कार्रवाई	तारीख	रजिस्टर	
	पता			पर				का संदर्भ	
				प्रतिबंध					
				की					
				तारीख					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									

निदेशः

कारपोरेट ऋणी के प्रतिभूत और अप्रतिभूत सभी बकाया ऋण जिसमें समापन से पूर्व ऐरियर के रूप में बकाया राशि भी शामिल है को इस रजिस्टर में दाखिल किया जाए।

किराएदार खाता

- (1) संपत्ति का विवरण
- (2) किराएदार का नाम और पता
- (3) किराए पर देने की तारीख
- (4) किराए पर रहने की अवधि
- (5) किराया (मासिक या वार्षिक)
- (6) विशेष शर्तें, यदि कोई हो
- (7) संपत्ति का भार ग्रहण करने की तारीख पर बकाया
- (8) अग्रिम प्राप्ति यदि कोई हो

महीना	मांग		वसूली	शेष	टिप्पणी
	राशि	तारीख	राशि	राशि	
	₹.		रु.	रु.	
1	2	3	4	5	6
जनवरी					
फरवरी					

दावा रजिस्टर

क्रम	दावा	प्रार्थी का	प्रत्यर्थी का	दावे	दायर	सुनवाई	डिक्री	अनुदित	डिक्री	डिक्री	डिक्री	टिप्पणी
संख्या	संख्या या	नाम और	नाम और	की	करने	की	की	छूट की	की	की गई	रजिस्टर	
	अपील और	पता	पता	राशि	की	तारीख	तारीख	प्रकृति	गई	लागत	का संदर्भ	
	न्यायालय	अपीलार्थी	प्रतिवादी		तारीख		या		राशि			
		और उसका	और उसका				अंतिम					
		अधिवक्ता	अधिवक्ता				आदेश					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												

निदेशः

(1) कारपोरेट ऋणी द्वारा या उसके विरूद्ध आवेदन जो दावे की प्रकृति के हैं उसे इस रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाए।

डिक्री रजिस्टर

दावों या	निर्णित ऋणी	डिक्री की गई	डिक्री की	की गई कार्रवाई	वसूली गई	वसूली की	दावा रजिस्टर
अपीलों की	का नाम और	राशि	तारीख		राशि	तारीख	का संदर्भ
संख्या और	पता						
न्यायालय							
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

निदेशः

- 1. रजिस्टर का उद्देश्य परिसमापक को उसके प्रभार में कारपोरेट ऋणी के पक्ष में डिक्री की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखना है।
- 2. प्रत्येक डिक्री या धन के भुगतान या संपत्ति की सुपुर्दगी का आदेश जो कापोरेट ऋणी के पक्ष में है जिसमें लागत के भुगतान का आदेश चाहे वह दावे, अपील या आवेदन में हो को भी इस रजिस्टर में प्रविष्ट करना चाहिए।

दावों और वितरण का रजिस्टर

दावे					घो	षित और अ	ादा किए ग	ए वितरण			टिप्पणियां				
क्रं. सं.	लेनदार का नाम और पता	दावाकृत राशि (रुपए)	दावे की प्रकृति (रुपए)	स्वीकृत राशि (रुपए)	क्या सामान्य या अधिमान्य	तारीख	राशि (रुपए)	तारीख और अदायगी का तरीका	दर	राशि (रुपए)	तारीख और अदायगी का तरीका	दर	राशि (रुपए)	तारीख और अदायगी का तरीका	टिप्पणी
1 1 2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

निदेशः

- (1) इस रजिस्टर में केवल पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकृत दावों को ही दर्ज किया जाना चाहिए।
- (2) बायीं और का पृष्ठ दावे के लिए और दाहिनी ओर का पृष्ठ लाभांश के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

अंशदाता खाता

क्र.सं.	अंशदायी	धारित	बोलियां			टिप्पणी	शेयरपूंजी प	र रिटर्न		टिप्पणी
	का नाम	किए गए	प्रथम बोली		द्वितीय		रिटर्न की	भुगतान	अदा	
	और पता	शेयरों			बोली/तृतीय		तारीख	की तारीख	की गई	
		की			बोली				राशि	
		संख्या या	काल करने	अदा की गई						
		हितों की	का		दिए गए कालम					
		सीमा	विकल्प	अदायगी	को दोहरावें					
		और उस	तारीख	तारीख						
		पर अदा	और मांगी							
		की गई	गई राशि							
		राशि								
1	2	3	4	5	6 से 9	10	11	12	13	14
1										
2										

निदेशः-

केवल सूची में उल्लिखित अंशदायिकों की सूची को इस रजिस्टर में दर्ज किया जाए और उन्हें सूची के अनुसार उसी क्रम में दर्ज किया जाए।

वितरण रजिस्टर

वितरण किए जाने की तारीख

इस क्रम में किए गए वितरण की कुल देय राशि

तारीख	हितबद्ध की सूची में	विवरण	प्राप्ति	भुगतान
	संख्या			
1	2	3	4	5
1				
2				

निदेशः-

- (1) सामान्य और अधिमानी लाभांशों के लिए पृथक पृष्ठ रखे जाएं।
- (2) भुगतान जब और जैसे किया जाए उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में की जानी चाहिए। ऐसी कोई राशि जो गैर अदायगी के कारण वापस की गई हो को 'प्राप्ति' के तहत खाते में पुनः प्रविष्ट किया जाए।
- (3) कालम 2 की संख्या लेनदारों की सूची की संख्या होनी चाहिए जो अंतिम रूप से तय की गई हो।
- (4) अदावाकृत वितरण की कुल राशि जो भारतीय लोक खाता और बैंक में अदा की गई राशि हो को अदायगी की तारीख के साथ खाते के अंत में दर्शाई जानी चाहिए।

फीस रजिस्टर

वसूल की गई	वितरित राशि	अनुवर्ती दो	न्यायनिर्णायक	कुल देय फीस	भुगतान की
राशि जिस पर	जिस पर फीस देय	कालमों में दी	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेशों		तारीख
फीस देय हो	हो	गई राशि पर	के अधीन देय फीस		
		देय फीस	यदि कोई हो		
1	2	3	4	5	6
1					
2					

निदेशः

- 1. प्रत्येक वर्ष एक नया खाता खुलना चाहिए।
- 2. परिसमापक को देय फीस की प्रविष्टि रजिस्टर में किसी तिमाही के लेखापरीक्षित खातों की समाप्ति के तुरंत बाद किया जाएगा।

उचंत रजिस्टर

तारीख	विवरण	नामे (रुपए)	जमा (रुपए)	शेष (रुपए)
1	2	3	4	5
1				
2				

निदेशः

- 1. रजिस्टर में परिसमापक द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए अग्रिमों की प्रविष्टि की जाए।
- 2. प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक खाते होने चाहिए।

दस्तावेज रजिस्टर

क्र.सं.	दस्तावेज का	प्राप्ति की	किससे प्राप्त हुआ	शैल्फ की संदर्भ संख्या	कैसे निपटान	टिप्पणी
	वर्णन	तारीख	_	जिसमें दस्तावेज रखे गए	किय गया	
				हों		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निदेशः

शीर्षक विलेख, शेयर, प्रतिज्ञा पत्र आदि जैसे शीर्षक वाले सभी दस्तावेजों की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाए।

बही रजिस्टर

तारीख	किससे प्राप्त हुआ	क्रम संख्या	फाइलों सहित	शैल्फ संख्या4	कैसे निपटान	टिप्पणी
	_		बही का विवरण		किया गया	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निदेशः

कारपोरेट ऋणी की सभी खातों और फाइलों जो परिसमापक के पास हों की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाए।

अदावाकृत लाभांश और जमा की गई अवितरित आस्तियों का रजिस्टर

क्र.सं.	लाभांश या	क्या लेनदार या	हितबद्धों की	लाभांश या	लाभांश या	कुल देय राशि
	रिटर्न के हकदार	अंशदाता है	सूची की संख्या	रिटर्न की घोषणा	रिटर्न की दर	(रुपए)
	व्यक्ति का नाम		•	की तारीख		(, , ,)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2016

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2016

IBBI/2016-17/GN/REG005.—In exercise of the powers conferred by sections 5, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 196 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Board hereby makes the following Regulations, namely-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

- (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These Regulations shall apply to the liquidation process under Chapter III of Part II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

2. Definitions.

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires-
 - (a) "books of the corporate debtor" means
 - (i) the books of account and the financial statements as defined in section 2(13) and 2(40) of the Companies Act, 2013,
 - (ii) the books of account as referred to in section 34 of the Limited Liability Partnership Act, 2008, or
 - (iii) the books of accounts as specified under the applicable law,

as the case may be;

- (b) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
- (c) "contributory" means a member of the company, a partner of the limited liability partnership, and any other person liable to contribute towards the assets of the corporate debtor in the event of its liquidation;
- (d) "electronic means" mean an authorized and secured computer programme which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication;
- (e) "identification number" means the Limited Liability Partnership Identification Number or the Corporate Identity Number, as the case may be;
- (f) "Preliminary Report" means the report prepared in accordance with Regulation 13;
- (g) "Progress Report" means the quarterly report prepared in accordance with Regulation 15;
- (h) "registered valuer" means a person registered as such in accordance with the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules made thereunder;
- (i) "Schedule" means a schedule to these Regulations;
- (j) "section" means section of the Code; and
- (k) "stakeholders" means the stakeholders entitled to distribution of proceeds under section 53.
- (2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Code, shall have the meanings assigned to them in the Code.

CHAPTER II

APPOINTMENT AND REMUNERATION OF LIQUIDATOR

3. Eligibility for appointment as liquidator.

(1) An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a liquidator if he, and every partner or director of the insolvency professional entity of which he is a partner or director, is independent of the corporate debtor.

Explanation— A person shall be considered independent of the corporate debtor, if he-

- (a) is eligible to be appointed as an independent director on the board of the corporate debtor under section 149 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), where the corporate debtor is a company;
- (b) is not a related party of the corporate debtor; or
- (c) has not been an employee or proprietor or a partner:
 - (i) of a firm of auditors or company secretaries or cost auditors of the corporate debtor; or
 - (ii) of a legal or a consulting firm, that has or had any transaction with the corporate debtor contributing ten per cent or more of the gross turnover of such firm,

in the last three financial years.

- (2) A liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the concerned corporate debtor or any of its stakeholders as soon as he becomes aware of it, to the Board and the Adjudicating Authority.
- (3) An insolvency professional shall not continue as a liquidator if the insolvency professional entity of which he is a director or partner, or any other partner or director of such insolvency professional entity represents any other stakeholder in the same liquidation process.

4. Liquidator's fee.

- (1) The fee payable to the liquidator shall form part of the liquidation cost.
- (2) The liquidator shall be entitled to such fee and in such manner as has been decided by the committee of creditors before a liquidation order is passed under sections 33(1)(a) or 33(2).
- (3) In all cases other than those covered under sub-regulation (2), the liquidator shall be entitled to a fee as a percentage of the amount realized net of other liquidation costs, and of the amount distributed, as under:

Amount of Realisation /	Percentage of fee on the amount realized / distributed			
Distribution (In rupees)	in the first six in the next six in the next or		in the next one	one Thereafter
	months	months	year	
Amo	unt of Realisation (ex	clusive of liquidation	costs)	
On the first 1 crore	5.00	3.75	2.50	1.88
On the next 9 crore	3.75	2.80	1.88	1.41
On the next 40 crore	2.50	1.88	1.25	0.94
On the next 50 crore	1.25	0.94	0.68	0.51
On further sums realized	0.25	0.19	0.13	0.10
	Amount Distribu	ted to Stakeholders		
On the first 1 crore	2.50	1.88	1.25	0.94
On the next 9 crore	1.88	1.40	0.94	0.71
On the next 40 crore	1.25	0.94	0.63	0.47
On the next 50 crore	0.63	0.48	0.34	0.25
On further sums distributed	0.13	0.10	0.06	0.05

(4) The liquidator shall be entitled to receive half of the fee payable on realization under sub-regulation (3) only after such realized amount is distributed.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF LIQUIDATOR

5. Reporting.

- (1) The liquidator shall prepare and submit:
 - (a) a preliminary report;
 - (b) an asset memorandum;
 - (c) progress report(s);
 - (d) sale report(s);
 - (e) minutes of consultation with stakeholders; and
 - (f) the final report prior to dissolution

to the Adjudicating Authority in the manner specified under these Regulations.

- (2) The liquidator shall preserve a physical as well as an electronic copy of the reports and minutes referred to in sub-regulation (1) for eight years after the dissolution of the corporate debtor.
- (3) Subject to other provisions of these Regulations, the liquidator shall make the reports and minutes referred to sub-regulation (1) available to a stakeholder in either electronic or physical form, on receipt of
 - (a) an application in writing;
 - (b) costs of making such reports and minutes available to it; and
 - (c) an undertaking from the stakeholder that it shall maintain confidentiality of such reports and minutes and shall not use these to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person.

6. Registers and books of account.

- (1) Where the books of account of the corporate debtor are incomplete on the liquidation commencement date, the liquidator shall have them completed and brought up-to-date, with all convenient speed, as soon as the order for liquidation is passed.
- (2) The liquidator shall maintain the following registers and books, as may be applicable, in relation to the liquidation of the corporate debtor, and shall preserve them for a period of eight years after the dissolution of the corporate debtor-
 - (a) Cash Book;
 - (b) Ledger;
 - (c) Bank Ledger;
 - (d) Register of Fixed Assets and Inventories;
 - (e) Securities and Investment Register;
 - (f) Register of Book Debts and Outstanding Debts;
 - (g) Tenants Ledger;
 - (h) Suits Register;
 - (i) Decree Register;
 - (j) Register of Claims and Dividends;
 - (k) Contributories Ledger;
 - (l) Distributions Register;
 - (m) Fee Register;
 - (n) Suspense Register;
 - (o) Documents Register;

- (p) Books Register;
- (q) Register of unclaimed dividends and undistributed properties deposited in accordance with Regulation 45; and
- (r) such other books or registers as may be necessary to account for transactions entered into by him in relation to the corporate debtor.
- (3) The registers and books under sub-regulation (2) may be maintained in the forms indicated in Schedule III, with such modifications as the liquidator may deem fit in the facts and circumstances of the liquidation process.
- (4) The liquidator shall keep receipts for all payments made or expenses incurred by him.

7. Appointment of professionals.

- (1) A liquidator may appoint professionals to assist him in the discharge of his duties, obligations and functions for a reasonable remuneration and such remuneration shall form part of the liquidation cost.
- (2) The liquidator shall not appoint a professional under sub-regulation (1) who is his relative, is a related party of the corporate debtor or has served as an auditor to the corporate debtor in the five years preceding the liquidation commencement date.
- (3) A professional appointed or proposed to be appointed under sub-regulation (1) shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders, or the concerned corporate debtor as soon as he becomes aware of it, to the liquidator.

8. Consultation with stakeholders.

- (1) The stakeholders consulted under section 35(2) shall extend all assistance and cooperation to the liquidator to complete the liquidation of the corporate debtor.
- (2) The liquidator shall maintain the particulars of any consultation with the stakeholders made under this Regulation, as specified in Form A of Schedule II.

9. Personnel to extend cooperation to liquidator.

- (1) The liquidator may make an application to the Adjudicating Authority for a direction that a person who-
 - (a) is or has been an officer, auditor, employee, promoter or partner of the corporate debtor;
 - (b) was the interim resolution professional, resolution professional or the previous liquidator of the corporate debtor; or
 - (c) has possession of any of the properties of the corporate debtor;

shall cooperate with him in the collection of information necessary for the conduct of the liquidation.

(2) An application may be made under this Regulation only after the liquidator has made reasonable efforts to obtain the information from such person and failed to obtain it.

10. Disclaimer of onerous property.

- (1) Where any part of the property of a corporate debtor consists of-
 - (a) land of any tenure, burdened with onerous covenants;
 - (b) shares or stocks in companies;
 - (c) any other property which is not saleable or is not readily saleable by reason of the possessor thereof being bound either to the performance of any onerous act or to the payment of any sum of money; or
 - (d) unprofitable contracts;

the liquidator may, notwithstanding that he has endeavored to sell or has taken possession of the property or exercised any act of ownership in relation thereto or done anything in pursuance of the contract, make an application to the Adjudicating Authority within six months from the liquidation commencement date, or such extended period as may be allowed by the Adjudicating Authority, to disclaim the property or contract.

- (2) The liquidator shall not make an application under sub-regulation (1) if a person interested in the property or contract inquired in writing whether he will make an application to have such property disclaimed, and he did not communicate his intention to do so within one month from receipt of such inquiry.
- (3) The liquidator shall serve a notice to persons interested in the onerous property or contract at least seven days before making an application for disclaimer to the Adjudicating Authority:

Explanation: A person is interested in the onerous property or contract if he-

- (a) is entitled to the benefit or subject to the burden of the contract; or
- (b) claims an interest in a disclaimed property or is under a liability not discharged in respect of a disclaimed property.
- (4) Subject to the order of the Adjudicating Authority approving such disclaimer, the disclaimer shall operate to determine, from the date of disclaimer, the rights, interest and liabilities of the corporate debtor in or in respect of the property or contract disclaimed, but shall not, except so far as is necessary for the purpose of releasing the corporate debtor and the property of the corporate from liability, affect the rights, interest or liabilities of any other person.
- (5) A person affected by the disclaimer under this Regulation shall be deemed to be a creditor of the corporate debtor for the amount of the compensation or damages payable in respect of such effect, and may accordingly be payable as a debt in liquidation under section 53(1)(f).

11. Extortionate credit transactions.

A transaction shall be considered an extortionate credit transaction under section 50(2) where the terms-

- (1) require the corporate debtor to make exorbitant payments in respect of the credit provided; or
- (2) are unconscionable under the principles of law relating to contracts.

CHAPTER IV

GENERAL

12. Public announcement by liquidator.

- (1) The liquidator shall make a public announcement in Form B of Schedule II within five days from his appointment.
- (2) The public announcement shall-
 - (a) call upon stakeholders to submit their claims as on the liquidation commencement date; and
 - (b) provide the last date for submission of claim, which shall be thirty days from the liquidation commencement date.
- (3) The announcement shall be published-
 - (a) in one English and one regional language newspaper with wide circulation at the location of the registered office and principal office, if any, of the corporate debtor and any other location where in the opinion of the liquidator, the corporate debtor conducts material business operations;
 - (b) on the website, if any, of the corporate debtor; and
 - (c) on the website, if any, designated by the Board for this purpose.

13. Preliminary report.

The liquidator shall submit a Preliminary Report to the Adjudicating Authority within seventy-five days from the liquidation commencement date, detailing-

- (a) the capital structure of the corporate debtor;
- (b) the estimates of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate debtor:

Provided that if the liquidator has reasons to believe, to be recorded in writing, that the books of the corporate debtor are not reliable, he shall also provide such estimates based on reliable records and data otherwise available to him;

- (c) whether, he intends to make any further inquiry in to any matter relating to the promotion, formation or failure of the corporate debtor or the conduct of the business thereof; and
- (d) the proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timeline within which he proposes to carry it out and the estimated liquidation costs.

14. Early dissolution.

Any time after the preparation of the Preliminary Report, if it appears to the liquidator that-

- (a) the realizable properties of the corporate debtor are insufficient to cover the cost of the liquidation process; and
- (b) the affairs of the corporate debtor do not require any further investigation;

he may apply to the Adjudicating Authority for early dissolution of the corporate debtor and for necessary directions in respect of such dissolution.

15. Progress reports.

- (1) The liquidator shall submit Progress Reports to the Adjudicating Authority as under-
 - (a) the first Progress Report within fifteen days after the end of the quarter in which he is appointed;
 - (b) subsequent Progress Report(s) within fifteen days after the end of every quarter during which he acts as liquidator; and

Provided that if an insolvency professional ceases to act as a liquidator during the liquidation process, he shall file a Progress Report for the quarter up to the date of his so ceasing to act, within fifteen days of such cessation.

- (2) A Progress Report shall provide all information relevant to liquidation for the quarter, including-
 - (a) appointment, tenure of appointment and cessation of appointment of professionals;
 - (b) a statement indicating progress in liquidation, including-
 - (i) settlement of list of stakeholders,
 - (ii) details of any property that remain to be sold and realized,
 - (iii) distribution made to the stakeholders, and
 - (iv) distribution of unsold property made to the stakeholders;
 - (c) details of fee or remuneration, including-
 - (i) the fee due to and received by the liquidator together with a description of the activities carried out by him,
 - (ii) the remuneration or fee paid to professionals appointed by the liquidator together with a description of activities carried out by them,
 - (iii) other expenses incurred by the liquidator, whether paid or not;
 - (d) developments in any material litigation, by or against the corporate debtor;
 - (e) filing of, and developments in applications for avoidance of transactions in accordance with Chapter III of Part II of the Code; and
 - (f) changes, if any, in estimated liquidation costs.
- (3) A Progress Report shall enclose an account maintained by the liquidator showing-
 - (a) his receipts and payments during the quarter; and
 - (b) the cumulative amount of his receipts and payments since the liquidation commencement date.
- (4) A Progress Report shall enclose a statement indicating any material change in expected realization of any property proposed to be sold, along with the basis for such change:

Provided that this statement shall not be accessible to any person during the course of liquidation, unless permitted by the Adjudicating Authority.

(5) The Progress Report for the fourth quarter of the financial year shall enclose audited accounts of the liquidator's receipts and payments for the financial year:

Provided that in case an insolvency professional ceases to act as liquidator, the audited accounts of his receipts and payments for that part of the financial year during which he has acted as liquidator, shall be enclosed with the Progress Report to be filed after cessation of his appointment.

Illustration: An insolvency professional becomes a liquidator on 13th February, 2017, and ceases to act as liquidator on 12th February, 2019. He shall submit Progress Reports as under:

Report No.	Period covered in the Quarter	Last Date of Submission of Report
1	13 th February - 31 st March, 2017	15 th April, 2017
2	April - June, 2017	15 th July, 2017
3	July - September, 2017	15 th October, 2017
4	October - December, 2017	15 th January, 2018
5	January - March, 2018	15 th April, 2018
6	April - June, 2018	15 th July, 2018
7	July - September, 2018	15 th October, 2018
8	October - December, 2018	15 th January, 2019
9	January - 12 th February, 2019	27 th February, 2019

He shall submit the audited accounts of his receipts and payments as under:

Audited Account No.	Period covered in the Year	Last Date of Submission
1	13 th February - 31 st March, 2017	15 th April, 2017
2	April - March, 2018	15 th April, 2018
3	April - 12 th February, 2019	27 th February, 2019

CHAPTER V

CLAIMS

16. Proof of claim.

A person, who claims to be a stakeholder, shall prove his claim for debt or dues to him, including interest, if any, as on the liquidation commencement date.

17. Claims by operational creditors.

- (1) A person claiming to be an operational creditor of the corporate debtor, other than a workman or employee, shall submit proof of claim to the liquidator in person, by post or by electronic means in Form C of Schedule II.
- (2) The existence of debt due to an operational creditor under this Regulation may be proved on the basis of-
 - (a) the records available with an information utility, if any; or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the debt, including any or all of the following -
 - (i) a contract for the supply of goods and services with corporate debtor;
 - (ii) an invoice demanding payment for the goods and services supplied to the corporate debtor;
 - (iii) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a debt, if any; and
 - (iv) financial accounts.

18. Claims by financial creditors.

- (1) A person claiming to be a financial creditor of the corporate debtor shall submit proof of claim to the liquidator in electronic means in Form D of Schedule II.
- (2) The existence of debt due to the financial creditor may be proved on the basis of-
 - (a) the records available in an information utility, if any; or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the debt, including any or all of the following-

- (i) a financial contract supported by financial statements as evidence of the debt;
- (ii) a record evidencing that the amounts committed by the financial creditor to the corporate debtor under a facility has been drawn by the corporate debtor;
- (iii) financial statements showing that the debt has not been repaid; and
- (iv) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of a debt, if any.

19. Claims by workmen and employees.

- (1) A person claiming to be a workman or an employee of the corporate debtor shall submit proof of claim to the liquidator in person, by post or by electronic means in Form E of Schedule II.
- (2) Where there are dues to numerous workmen or employees of the corporate debtor, an authorized representative may submit one proof of claim for all such dues on their behalf in Form F of Schedule II.
- (3) The existence of dues to workmen or employees may be proved by them, individually or collectively, on the basis of-
 - (a) records available in an information utility, if any; or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the dues, including any or all of the following -
 - (i) a proof of employment such as contract of employment for the period for which such workman or employee is claiming dues;
 - (ii) evidence of notice demanding payment of unpaid amount and any documentary or other proof that payment has not been made; and
 - (iii) an order of a court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of dues, if any.
- (4) The liquidator may admit the claims of a workman or an employee on the basis of the books of account of the corporate debtor if such workman or employee has not made a claim.

20. Claims by other stakeholders.

- (1) A person, claiming to be a stakeholder other than those under Regulations 17(1), 18(1), or 19(1), shall submit proof of claim to the liquidator in person, by post or by electronic means in Form G of Schedule II.
- (2) The existence of the claim of the stakeholder may be proved on the basis of -
 - (a) the records available in an information utility, if any, or
 - (b) other relevant documents which adequately establish the claim, including any or all of the following-
 - (i) documentary evidence of notice demanding payment of unpaid amount or bank statements of the claimant showing that the claim has not been paid and an affidavit that the documentary evidence and bank statements are true, valid and genuine;
 - (ii) documentary or electronic evidence of his shareholding; and
 - (iii) an order of a court, tribunal or other authority that has adjudicated upon the non-payment of a claim, if any.

21. Proving security interest.

The existence of a security interest may be proved by a secured creditor on the basis of-

- (a) the records available in an information utility, if any;
- (b) certificate of registration of charge issued by the Registrar of Companies; or
- (c) proof of registration of charge with the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India.

22. Production of bills of exchange and promissory notes.

Where a person seeks to prove a debt in respect of a bill of exchange, promissory note or other negotiable instrument or security of a like nature for which the corporate debtor is liable, such bill of exchange, note, instrument or security, as the case may be, shall be produced before the liquidator before the claim is admitted.

23. Substantiation of claims.

The liquidator may call for such other evidence or clarification as he deems fit from a claimant for substantiating the whole or part of its claim.

24. Cost of proof.

- (1) A claimant shall bear the cost of proving its claim.
- (2) Costs incurred by the liquidator for verification and determination of a claim shall form part of liquidation cost:

Provided that if a claim or part of the claim is found to be false, the liquidator shall endeavor to recover the costs incurred for verification and determination of claim from such claimant, and shall provide the details of the claimant to the Board.

25. Determination of quantum of claim.

Where the amount claimed by a claimant is not precise due to any contingency or any other reason, the liquidator shall make the best estimate of the amount of the claim based on the information available with him.

26. Debt in foreign currency.

The claims denominated in foreign currency shall be valued in Indian currency at the official exchange rate as on the liquidation commencement date.

Explanation- "The official exchange rate" is the reference rate published by the Reserve Bank of India or derived from such reference rates.

27. Periodical payments.

In the case of rent, interest and such other payments of a periodical nature, a person may claim only for any amounts due and unpaid up to the liquidation commencement date.

28. Debt payable at future time.

- (1) A person may prove for a claim whose payment was not yet due on the liquidation commencement date and is entitled to distribution in the same manner as any other stakeholder.
- Subject to any contract to the contrary, where a stakeholder has proved for a claim under sub-regulation (1), and the debt has not fallen due before distribution, he is entitled to distribution of the admitted claim reduced as follows-

$$X/(1+r)^{n}$$

where-

- (a) "X" is the value of the admitted claim;
- (b) "r" is the closing yield rate (%) of government securities of the maturity of "n" on the date of distribution as published by the Reserve Bank of India; and
- (c) "n" is the period beginning with the date of distribution and ending with the date on which the payment of the debt would otherwise be due, expressed in years and months in a decimalized form.

29. Mutual credits and set-off.

Where there are mutual dealings between the corporate debtor and another party, the sums due from one party shall be set off against the sums due from the other to arrive at the net amount payable to the corporate debtor or to the other party.

Illustration: X owes Rs. 100 to the corporate debtor. The corporate debtor owes Rs. 70 to X. After set off, Rs. 30 is payable by X to the corporate debtor.

30. Verification of claims

The liquidator shall verify the claims submitted within thirty days from the last date for receipt of claims and may either admit or reject the claim, in whole or in part, as the case may be.

31. List of stakeholders.

- (1) The liquidator shall prepare a list of stakeholders, category-wise, on the basis of proofs of claims submitted and accepted under these Regulations, with-
 - (a) the amounts of claim admitted, if applicable,
 - (b) the extent to which the debts or dues are secured or unsecured, if applicable,
 - (c) the details of the stakeholders, and
 - (d) the proofs admitted or rejected in part, and the proofs wholly rejected.
- (2) The liquidator shall file the list of stakeholders with the Adjudicating Authority within forty-five days from the last date for receipt of claims, and the filing of the list shall be announced to the public in the manner specified in Regulation 12(3).
- (3) The liquidator may apply to the Adjudicating Authority to modify an entry in the list of stakeholders filed with the Adjudicating Authority, when he comes across additional information warranting such modification, and shall modify the entry in the manner directed by the Adjudicating Authority.
- (4) The liquidator shall modify an entry in the list of stakeholders filed with the Adjudicating Authority, in the manner directed by the Adjudicating Authority while disposing off an appeal preferred under section 42.
- (5) The list of stakeholders, as modified from time to time, shall be-
 - (a) available for inspection by the persons who submitted proofs of claim;
 - (b) available for inspection by members, partners, directors and guarantors of the corporate debtor;
 - (c) displayed on the website, if any, of the corporate debtor.

CHAPTER VI

REALISATION OF ASSETS

32. Manner of sale.

The liquidator may

- (a) sell an asset on a standalone basis; or
- (b) sell
 - (i) the assets in a slump sale,
 - (ii) a set of assets collectively, or
 - (iii) the assets in parcels.

33. Mode of sale.

- (1) The liquidator shall ordinarily sell the assets of the corporate debtor through an auction in the manner specified in Schedule I.
- (2) The liquidator may sell the assets of the corporate debtor by means of private sale in the manner specified in Schedule I when-
 - (a) the asset is perishable;
 - (b) the asset is likely to deteriorate in value significantly if not sold immediately;
 - (c) the asset is sold at a price higher than the reserve price of a failed auction; or
 - (d) the prior permission of the Adjudicating Authority has been obtained for such sale:

Provided that the liquidator shall not sell the assets, without prior permission of the Adjudicating Authority, by way of private sale to-

- (a) a related party of the corporate debtor;
- (b) his related party; or
- (c) any professional appointed by him.

(3) The liquidator shall not proceed with the sale of an asset if he has reason to believe that there is any collusion between the buyers, or the corporate debtor's related parties and buyers, or the creditors and the buyer, and shall submit a report to the Adjudicating Authority in this regard, seeking appropriate orders against the colluding parties.

34. Asset memorandum.

- (1) On forming the liquidation estate under section 36, the liquidator shall prepare an asset memorandum in accordance with this Regulation within seventy-five days from the liquidation commencement date.
- (2) The asset memorandum shall provide the following details in respect of the assets which are intended to be realized by way of sale-
 - (a) value of the asset, valued in accordance with Regulation 35;
 - (b) value of set of assets or assets in parcels or assets in a slump sale, as the case may be, valued in accordance with Regulation 35, if intended to be sold as specified in Regulation 32(b);
 - (c) intended manner of sale in accordance with Regulation 32, and reasons for the same;
 - (d) the intended mode of sale and reasons for the same in accordance with Regulation 33;
 - (e) expected amount of realization from sale; and
 - (f) any other information that may be relevant for the sale of the asset.
- (3) The asset memorandum shall provide the following details in respect of each of the assets other than those referred to in sub-regulation (2)-
 - (a) value of the asset;
 - (b) intended manner and mode of realization, and reasons for the same;
 - (c) expected amount of realization; and
 - (d) any other information that may be relevant for the realization of the asset.
- (4) The liquidator shall file the asset memorandum along with the preliminary report to the Adjudicating Authority.
- (5) The asset memorandum shall not be accessible to any person during the course of liquidation, unless permitted by the Adjudicating Authority.

35. Valuation of assets intended to be sold.

- (1) The liquidator shall appoint at least two registered valuers to value the assets as required under Regulation 34(2).
- (2) The provisions of Regulation 7 shall apply *mutatis mutandis* to registered valuers appointed under subregulation (1).
- (3) The registered valuers appointed under sub-regulation (1) shall independently submit to the liquidator the estimates of the realizable value of the asset(s) computed in accordance with internationally accepted valuation standards, after physical verification of the assets of the corporate debtor.
- (4) The average of the estimates received under sub-regulation (3) shall be considered the value of the assets.

36. Asset sale report.

On sale of an asset, the liquidator shall prepare an asset sale report in respect of said asset, to be enclosed with the Progress Reports, containing -

- (a) the realized value;
- (b) cost of realization, if any;
- (c) the manner and mode of sale;
- (d) if the value realized is less than the value in the asset memorandum, the reasons for the same;
- (e) the person to whom the sale is made; and
- (f) any other details of the sale.

37. Realization of security interest by secured creditor

- (1) A secured creditor who seeks to realize its security interest under section 52 shall intimate the liquidator of the price at which he proposes to realize its secured asset.
- (2) The liquidator shall inform the secured creditor within twenty one days of receipt of the intimation under sub-regulation (1) if a person is willing to buy the secured asset before the expiry of thirty days from the date of intimation under sub-regulation (1), at a price higher than the price intimated under sub-regulation (1).
- (3) Where the liquidator informs the secured creditor of a person willing to buy the secured asset under subregulation (2), the secured creditor shall sell the asset to such person.
- (4) If the liquidator does not inform the secured creditor in accordance with sub-regulation (2), or the person does not buy the secured asset in accordance with sub-regulation (2), the secured creditor may realize the secured asset in the manner it deems fit, but at least at the price intimated under sub-regulation (1).
- (5) Where the secured asset is realized under sub-regulation (3), the secured creditor shall bear the cost of identification of the buyer under sub-regulation (2).
- (6) Where the secured asset is realized under sub-regulation (4), the liquidator shall bear the cost of incurred to identify the buyer under sub-regulation (2).
- (7) The provisions of this Regulation shall not apply if the secured creditor enforces his security interest under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) or the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993).

38. Distribution of unsold assets.

- (1) The liquidator may, with the permission of the Adjudicating Authority, distribute amongst the stakeholders, an asset that cannot be readily or advantageously sold due to its peculiar nature or other special circumstances.
- (2) The application seeking permission of the Adjudicating Authority under sub-regulation (1) shall-
 - (a) identify the asset;
 - (b) provide a value of the asset;
 - (c) detail the efforts made to sell the asset, if any; and
 - (d) provide reasons for such distribution.

39. Recovery of monies due.

The liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate debtor in a time-bound manner for maximization of value for the stakeholders.

40. Liquidator to realize uncalled capital or unpaid capital contribution.

- (1) The liquidator shall realize any amount due from any contributory to the corporate debtor.
- (2) Notwithstanding any charge or encumbrance on the uncalled capital of the corporate debtor, the liquidator shall be entitled to call and realize the uncalled capital of the corporate debtor and to collect the arrears, if any, due on calls made prior to the liquidation, by providing a notice to the contributory to make the payments within fifteen days from the receipt of the notice, but shall hold all moneys so realized subject to the rights, if any, of the holder of any such charge or encumbrance.
- (3) No distribution shall be made to a contributory, unless he makes his contribution to the uncalled or unpaid capital as required in the constitutional documents of the corporate debtor.

Explanation: For the purpose of this chapter and Schedule I, 'assets' include an asset, all assets, a set of assets or parcel of assets, as the case may be, which are being sold.

CHAPTER VII

PROCEEDS OF LIQUIDATION AND DISTRIBUTION OF PROCEEDS

41. All money to be paid in to bank account.

(1) The liquidator shall open a bank account in the name of the corporate debtor followed by the words 'in liquidation', in a scheduled bank, for the receipt of all moneys due to the corporate debtor.

- (2) The liquidator shall deposit in the bank account opened under sub-regulation (1) all moneys, including cheques and demand drafts received by him as the liquidator of the corporate debtor, and the realizations of each day shall be deposited into the bank account without any deduction not later than the next working day.
- (3) The liquidator may maintain a cash of one lakh rupees or such higher amount as may be permitted by the Adjudicating Authority to meet liquidation costs.
- (4) All payments out of the account by the liquidator above five thousand rupees shall be made by cheques drawn or online banking transactions against the bank account.

42. Distribution.

- (1) Subject to the provisions of section 53, the liquidator shall not commence distribution before the list of stakeholders and the asset memorandum has been filed with the Adjudicating Authority.
- (2) The liquidator shall distribute the proceeds from realization within six months from the receipt of the amount to the stakeholders.
- (3) The insolvency resolution process costs, if any, and the liquidation costs shall be deducted before such distribution is made.

43. Return of money.

A stakeholder shall forthwith return any monies received by him in distribution, which he was not entitled to at the time of distribution, or subsequently became not entitled to.

44. Completion of liquidation.

- (1) The liquidator shall liquidate the corporate debtor within a period of two years.
- (2) If the liquidator fails to liquidate the corporate debtor within two years, he shall make an application to the Adjudicating Authority to continue such liquidation, along with a report explaining why the liquidation has not been completed and specifying the additional time that shall be required for liquidation.

45. Final report prior to dissolution.

- (1) When the corporate debtor is liquidated, the liquidator shall make an account of the liquidation, showing how it has been conducted and how the corporate debtor's assets have been liquidated.
- (2) If the liquidation cost exceeds the estimated liquidation cost provided in the Preliminary Report, the liquidator shall explain the reasons for the same.
- (3) The final report shall form part of the application for the dissolution of the corporate debtor to the Adjudicating Authority to be made under section 54.

46. Unclaimed proceeds of liquidation or undistributed assets.

- (1) Before the order of dissolution is passed under section 54(2), the liquidator shall apply to the Adjudicating Authority for an order to pay into the Companies Liquidation Account in the Public Account of India any unclaimed proceeds of liquidation or undistributed assets or any other balance payable to the stakeholders in his hands on the date of the order of dissolution.
- (2) Any liquidator who retains any money which should have been paid by him into the Companies Liquidation Account under this Regulation shall pay interest on the amount retained at the rate of twelve per cent per annum, and also pay such penalty as may be determined by the Board.
- (3) The liquidator shall, when making any payment referred to in sub-regulation (1), furnish to the authority with which the corporate debtor is registered, and the Board, a statement setting forth the nature of the sums included, the names and last known addresses of the stakeholders entitled to participate therein, the amount to which each is entitled to and the nature of their claim.
- (4) The liquidator shall be entitled to a receipt from the Reserve Bank of India for any money paid to it under sub-regulation (2), and such receipt shall be an effectual discharge of the liquidator in respect thereof.
- (5) A person claiming to be entitled to any money paid into the Companies Liquidation Account may apply to the Board for an order for payment of the money claimed; which may, if satisfied that such person is entitled to the whole or any part of the money claimed, make an order for the payment to that person of the sum due to him, after taking such security from him as it may think fit.

(6) Any money paid into the Companies Liquidation Account in pursuance of this Regulation, which remains unclaimed thereafter for a period of fifteen years, shall be transferred to the general revenue account of the Central Government.

SCHEDULE I

MODE OF SALE

(Under Regulation 33 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

1. AUCTION

- (1) Where an asset is to be sold through auction, a liquidator shall do so the in the manner specified herein.
- (2) The liquidator shall prepare a marketing strategy, with the help of marketing professionals, if required, for sale of the asset. The strategy may include-
 - (a) releasing advertisements;
 - (b) preparing information sheets for the asset;
 - (c) preparing a notice of sale; and
 - (d) liaising with agents.
- (3) The liquidator shall prepare terms and conditions of sale, including reserve price, earnest money deposit as well as pre-bid qualifications, if any.
- (4) The reserve price shall be the value of the asset arrived at in accordance with Regulation 34. Such valuation shall not be more than six months old. However, in the event that an auction fails at such price, the liquidator may reduce the reserve price up to seventy-five per cent of such value to conduct subsequent auctions.
- (5) The liquidator shall make a public announcement of an auction in the manner specified in Regulation 12(3);
 - Provided that the liquidator may apply to Adjudicating Authority to dispense with the requirement of Regulation 12(3)(a) keeping in view the value of the asset intended to be sold by auction.
- (6) The liquidator shall provide all assistance necessary for the conduct of due diligence by interested buyers.
- (7) The liquidator shall sell the assets through an electronic auction on an online portal, if any, designated by the Board, where the interested buyers can register, bid and receive confirmation of the acceptance of their bid online.
- (8) If the liquidator is of the opinion that a physical auction is likely to maximize the realization from the sale of assets and is in the best interests of the creditors, he may sell assets through a physical auction after obtaining the permission of the Adjudicating Authority. The liquidator may engage the services of qualified professional auctioneers specializing in auctioning such assets for this purpose.
- (9) An auction shall be transparent, and the highest bid at any given point shall be visible to the other bidders.
- (10) If the liquidator is of the opinion that an auction where bid amounts are not visible is likely to maximize realizations from the sale of assets and is in the best interests of the creditors, he may apply, in writing, to the Adjudicating Authority for its permission to conduct an auction in such manner.
- (11) If required, the liquidator may conduct multiple rounds of auctions to maximize the realization from the sale of the assets, and to promote the best interests of the creditors.
- (12) On the close of the auction, the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration within fifteen days of the date when he is invited to provide the balance sale consideration. On payment of the full amount, the sale shall stand completed, the liquidator shall execute certificate of sale or sale deed to transfer such assets and the assets shall be delivered to him in the manner specified in the terms of sale.

2. PRIVATE SALE

- (1) Where an asset is to be sold through private sale, a liquidator shall conduct the sale in the manner specified herein.
- (2) The liquidator shall prepare a strategy to approach interested buyers for assets to be sold by private sale.
- (3) Private sale may be conducted through directly liaising with potential buyers or their agents, through retail shops, or through any other means that is likely to maximize the realizations from the sale of assets.
- (4) The sale shall stand completed in accordance with the terms of sale.
- (5) Thereafter, the assets shall be delivered to the purchaser, on receipt of full consideration for the assets, in the manner specified in the terms of sale.

SCHEDULE II

FORM A

PROFORMA FOR REPORTING CONSULTATIONS WITH STAKEHOLDERS

(Under Regulation 8 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

Separate proforma to be used for each stakeholder or group of homogenous stakeholders

NAME AND REGISTRATION NO. OF LIQUIDATOR:	
NAME OF CORPORATE DEBTOR BEING LIQUIDATED:	
LIQUIDATION CASE NO:	
NAME OF THE STAKEHOLDER:	
DATE OF CONSULTATION (IF HELD IN PERSON):	
NUMBER AND DATES OF COMMUNICATIONS	
RECEIVED FROM STAKEHOLDER:	
SUMMARY OF CONSULTATION:	

SCHEDULE II

FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF [Name of Corporate Debtor]

1.	NAME OF CORPORATE DEBTOR	
2.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE DEBTOR	
3.	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE DEBTOR IS	
	INCORPORATED/ REGISTERED	
4.	CORPORATE IDENTITY NUMBER / LIMITED LIABILITY IDENTITY	
	NUMBER OF CORPORATE DEBTOR	
5.	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF	
	ANY) OF CORPORATE DEBTOR	
6.	DATE OF CLOSURE OF INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS	
7.	LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF CORPORATE DEBTOR	
8.	Name, address, email address, telephone number and	
	THE REGISTRATION NUMBER OF THE LIQUIDATOR	
9.	LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS	

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal (Name of Bench) has ordered the commencement of liquidation of the [name of the corporate debtor] on [date of passing of order of liquidation under section 33 of the Code].

The stakeholders of [name of the corporate debtor] are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before [insert the date falling thirty days after the liquidation commencement date], to the liquidator at the address mentioned against item 8.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of the Liquidator:

Date and Place:

SCHEDULE II

FORM C

PROOF OF CLAIM BY OPERATIONAL CREDITORS EXCEPT WORKMEN AND EMPLOYEES

(Under Regulation 17 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

[Date]

To

The Liquidator

[Name of the Liquidator]

[Address as set out in the public announcement]

From

[Name and address of the operational creditor]

Subject: Submission of proof of claim in respect of the liquidation of [name of corporate debtor] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

[Name of the operational creditor] hereby submits this proof of claim in respect of the liquidation of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

1.	NAME OF OPERATIONAL CREDITOR		
	(IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION, IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)		
2.	ADDRESS OF OPERATIONAL CREDITOR FOR CORRESPONDENCE		
3.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM, INCLUDING ANY INTEREST, AS AT	PRINCIPAL	:
	LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE AND DETAILS OF NATURE	INTEREST	:
	OF CLAIM	TOTAL CLAIM	:
4.	DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED		
5.	DETAILS OF ANY DISPUTE AS WELL AS THE RECORD OF PENDENCY OF SUIT OR ARBITRATION PROCEEDINGS		
6.	DETAILS OF HOW AND WHEN DEBT INCURRED		
7.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER		
	MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE DEBTOR AND		
	THE OPERATIONAL CREDITOR WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST		
	THE CLAIM		

	Ţ		1
8.	DETAILS OF ANY RETENTION OF TITLE IN RESPECT OF GOODS OR PROPERTIES TO WHICH THE DEBT REFERS OR ANY OTHER SECURITY		
9.	DETAILS OF ANY ASSIGNMENT OR TRANSFER OF DEBT IN HIS FAVOUR		
10.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE OPERATIONAL CREDITOR'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED		
11.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS RELIED ON IN SUPPORT OF THE CLAIM.	(i) (ii) (iii)	
G:			
_	re of operational creditor or person authorised to act on his behalf enclose the authority if this is being submitted on behalf of the op		
Name in	n BLOCK LETTERS		
Position	with or in relation to creditor		
Address	s of person signing		
*PAN, l	Passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Elec AFFIDAVIT	tion Commission of	India.
I, [name	e of deponent], currently residing at [address of deponent], do sole	emnly affirm and stat	e as follows:
1.	The above named corporate debtor was, at liquidation commer of 20 and still is, justly and truly indebte partners], my co-partners in trade, or, as the case may be] in the state consideration].	d to me [or to me an	d[insert name of co-
2.	In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have below:	ave relied on and the	documents specified
	[Please list the documents relied on as evidence of debt.]		
3.	The said documents are true, valid and genuine to the best of my	knowledge, informa	tion and belief.
4.	In respect of the said sum or any part thereof, I have not, nor have person, by my/our order, to my/our knowledge or belief, for my satisfaction or security whatsoever, save and except the following	y/ our use, had or red	
	[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other debtor and the operational creditor which may be set-off against		etween the corporate
Solemn 20	ly, affirmed at on	_ day, the	day of
Before 1	me,		
	Oath Commissioner		
-			

Deponent's signature

VERIFICATION

	Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that and correct to my knowledge and belief. Nothing is false and	
Verif	ied at on this day of 201	
		Deponent's signature
	SCHEDULE I	I
	FORM D	
	PROOF OF CLAIM BY FINANC	CIAL CREDITORS
(Una	ler Regulation 18 of the Insolvency and Bankruptcy Board o	of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
`		[Date]
То		[2 4110]
	iquidator	
	e of the Liquidator]	
_	ess as set out in the public announcement]	
From	ess as set out in the public announcement;	
	and address of the reciptored office and principal office of	f the financial queditoul
[Ivame	e and address of the registered office and principal office of	ine financial creation
Insolv Madar [Name	ect: Submission of proof of claim in respect of the liquidency and Bankruptcy Code, 2016. m/Sir, e of the financial creditor] hereby submits this proof of trate debtor]. The details for the same are set out below:	
1.	NAME OF FINANCIAL CREDITOR	
	(IF AN INCORPORATED BODY PROVIDE IDENTIFICATION NUMBER AND PROOF OF INCORPORATION, IF A PARTNERSHIP OR INDIVIDUAL PROVIDE IDENTIFICATION RECORDS* OF ALL THE PARTNERS OR THE INDIVIDUAL)	
2.	Address and email of financial creditor for correspondence.	
3.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM, INCLUDING ANY INTEREST, AS AT THE LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE AND DETAILS OF NATURE OF CLAIM (WHETHER TERM LOAN, SECURED, UNSECURED)	INTEREST :
4.	DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED	
5.	DETAILS OF ANY ORDER OF A COURT OF TRIBUNAL THAT HAS ADJUDICATED ON THE NON-PAYMENT OF DEBT	
6.	DETAILS OF HOW AND WHEN DEBT INCURRED	
7.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE DEBTOR AND THE FINANCIAL CREDITOR WHICH MAY BE	

SET-OFF AGAINST THE CLAIM

8.	DETAILS OF ANY SECURITY HELD, THE VALUE OF THE SECURITY, AND THE DATE IT WAS GIVEN	
9.	DETAILS OF ANY ASSIGNMENT OR TRANSFER OF DEBT IN HIS FAVOUR	
10.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE FINANCIAL CREDITOR'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED	
11.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS RELIED ON IN SUPPORT OF THE CLAIM.	(i) (ii) (iii)
	re of financial creditor or person authorised to act on his been enclose the authority if this is being submitted on behalf a	
Name ii	n BLOCK LETTERS	
Position	n with or in relation to creditor	
Address	s of person signing	
*PAN,	Passport, AADHAAR Card or the identity card issued by t	he Election Commission of India.
	AFFIDAVIT	
I, [name	e of deponent], currently residing at [address of deponent],	do solemnly affirm and state as follows:
1.	The above named corporate debtor was, at the liquidation day of 20 and still is, justly and truly partners], my co-partners in trade, or, as the case may be state consideration].	indebted to me [or to me and [insert name of co-
2.	In respect of my claim of the said sum or any part thereof [Please list the documents relied on as evidence of debt as	•
3.	The said documents are true, valid and genuine to the bes	• •
4.	In respect of the said sum or any part thereof, I have not, person, by my/our order, to my/our knowledge or belief, satisfaction or security whatsoever, save and except the form	nor have my partners or any of them, nor has any for my/ our use, had or received any manner of
	[Please state details of any mutual credit, mutual debts, debtor and the financial creditor which may be set-off ago	
Solemn 20	ly, affirmed at on	day, theday of
Before	me,	
Notary ,	/ Oath Commissioner.	

Deponent's signature.

VERIFICATION

Verifie	d at on this day of 201	
		Deponent's signature.
	SCHEDUI	E II
	FORM	
	PROOF OF CLAIM BY A WOI	
	(Under Regulation 19 of the Insolvency and Bankru	
_		[Date]
То		
The Lie	quidator	
[Name	of the Liquidator]	
[Addre	ss as set out in public announcement]	
From		
[Name	and address of the workman / employee]	
Subjec	et: Submission of proof of claim in respect of liquidati	on of (Name of corporate debtor) under the Insolvency
	nkruptcy Code, 2016.	, ,
Madan	n/Sir,	
		oof of claim in respect of the liquidation of [name of
corpor	ate debtor]. The details for the same are set out below	
1.	NAME OF WORKMAN/EMPLOYEE	
2.	PAN, PASSPORT, THE IDENTITY CARD ISSUED BY THE	
	ELECTION COMMISSION OF INDIA OR AADHAAR	
	CARD OF WORKMAN / EMPLOYEE	
3.	ADDRESS AND EMAIL ADDRESS (IF ANY) OF	
	WORKMAN / EMPLOYEE FOR CORRESPONDENCE	
4.	TOTAL AMOUNT OF CLAIM	
	(INCLUDING ANY INTEREST AS AT THE LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE)	
5.	DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH	
<i>J</i> .	THE DEBT CAN BE SUBSTANTIATED.	
6.	DETAILS OF ANY DISPUTE AS WELL AS THE RECORD	
	OF PENDENCY OR ORDER OF SUIT OR ARBITRATION	
	PROCEEDINGS	
7.	DETAILS OF HOW AND WHEN CLAIM AROSE	
8	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT MUTUAL DERTS	

OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE

T IGGICS.				
7100105				
1 Iddi Osi				
Address	s of person signing			
Position	n with or in relation to creditor			
Name in	n BLOCK LETTERS			
[Please	enclose the authority if this is being submitted on beh	alf of an operat	ional creditor]	
_	re of workman / employee or person authorised to act			
		(111)		
	IN SUPPORT OF THE CLAIM.	(ii) (iii)		
10.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS RELIED ON	(i)		
<u>.</u>	WORKMAN / EMPLOYEE'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED			
9.				
9.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE			
9.	CLAIM			
	CORPORATE DEBTOR AND THE WORKMAN / EMPLOYEE WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE			

Deponent's signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of paragraph toof this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed therefrom.
Verified at on this day of 201
Deponent's signature
SCHEDULE II
FORM F
PROOF OF CLAIM BY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF WORKMEN OR EMPLOYEES
(Under Regulation 19 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)
[Date]
То
The Liquidator
[Name of the Liquidator]
[Address as set out in the public announcement]
From
[Name and address of the authorised representative of workmen/employees]
Subject : Submission of proof of claim in respect of the liquidation of [name of corporate debtor] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
Madam/Sir,
I, [name of duly authorised representative of the workmen/ employees] currently residing at [address of duly authorised representative of the workmen/ employees], on behalf of the workmen and employees employed by the above named corporate debtor, solemnly affirm and say:
1. That the abovenamed corporate debtor was, on the liquidation commencement date, that is, the day of 20 and still is, justly truly indebted to the several persons whose names, addresses, and descriptions appear in the Annexure below in amounts severally set against their names in such Annexure for wages, remuneration and other amounts due to them respectively as workmen or/ and employees in the employ of the corporate debtor in respect of services rendered by them respectively to the corporate debtor during such periods as are set out against their respective names in the said Annexure.
2. That for which said sums or any part thereof, they have not, nor has any of them, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:
[Please state details of any mutual credits, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the workmen / employees which may be set-off against the claim.]
Signature :

ANNEXURE

1. Details of Employees/ Workmen

S No.	NAME OF	IDENTIFICATION	TOTAL AMOUNT DUE	PERIOD OVER	DETAILS OF
5110.	EMPLOYEE/	NUMBER	AND DETAILS ON		EVIDENCE OF DEBT
	WORKMEN	TYOMBER	NATURE OF CLAIM	DUE	INCLUDING
		(PAN/, PASSPORT			EMPLOYMENT
		NUMBER/, AADHAAR			CONTRACTS AND
		NO. / ID CARD			OTHER PROOFS
		ISSUED BY THE			
		ELECTION			
		COMMISSION AND			
		EMPLOYEE ID NO., IF			
		ANY			
1.					
2.					
3.					
4					
4.					
5.					

- 2. Particulars of how dues were incurred by the corporate debtor, including particulars of any dispute as well as the record of pendency of suit or arbitration proceedings.
- 3. Particulars of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the workmen / employee which may be set-off against the claim.
- 4. Please list out and attach the documents relied on to prove the claim.

AFFIDAVIT

I,	[insert full name	e , address and ϵ	occupation of d	<i>leponent</i>] d	lo solemnl	y affirm and	state as follows:	

l.	The abov	e named co	orporate debtor was, at the liquidation commencement date that is, the	day
	of	20	and still is, justly and truly indebted to the workmen and employees in the	sum of Rs.
		for	[please state the nature and duration of employment].	

- 2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [Please list the documents relied on as evidence of proof]
- 3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
- 4. In respect of the said sum or any part thereof, the workmen / employees have not, nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or has received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the workmen / employees which may be set-off against the claim.]

PRINCIPAL

INTEREST

TOTAL CLAIM

CLAIM

3.

4.

TOTAL AMOUNT OF CLAIM, INCLUDING

ANY INTEREST AS AT LIQUIDATION

COMMENCEMENT AND DETAILS OF

DETAILS OF DOCUMENTS BY REFERENCE TO WHICH THE CLAIM CAN BE

NATURE OF CLAIM

SUBSTANTIATED

5.	DETAILS OF HOW AND WHEN CLAIM AROSE	
6.	DETAILS OF ANY MUTUAL CREDIT, MUTUAL DEBTS, OR OTHER MUTUAL DEALINGS BETWEEN THE CORPORATE DEBTOR AND THE OTHER STAKEHOLDER WHICH MAY BE SET-OFF AGAINST THE CLAIM	
7.	DETAILS OF ANY RETENTION OF TITLE IN RESPECT OF GOODS OR PROPERTIES TO WHICH THE CLAIM REFERS	
8.	DETAILS OF ANY ASSIGNMENT OR TRANSFER OF DEBT IN HIS FAVOUR	
9.	DETAILS OF THE BANK ACCOUNT TO WHICH THE OTHER STAKEHOLDER'S SHARE OF THE PROCEEDS OF LIQUIDATION CAN BE TRANSFERRED	
10.	LIST OUT AND ATTACH THE DOCUMENTS RELIED ON IN SUPPORT OF THE CLAIM.	(i) (ii) (iii)

Signature of other stakeholder or person authorised to act on his behalf (Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of the other stakeholder)								
Name in BLOCK LETTERS								
Position with or in relation to creditor								
Address of person signing								

*PAN, Passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

AFFIDAVIT

I,	[insert	full name,	address and	ccupation	of deponer	nt to be	given]	do sole	emnly	affirm	and s	tate as	follows:
----	---------	------------	-------------	-----------	------------	----------	--------	---------	-------	--------	-------	---------	----------

1.	The above named corporate debtor was, at the liquidation commencement date, that is, the
	day of 20 and still is, justly and truly indebted to me [or to me and [insert name of co-
	partner], my co-partners in trade, or, as the case may be,] in the sum of Rs for [please
	state consideration].

2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below:

[Please list the documents relied on as evidence of proof.]

- 3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
- 4. In respect of the said sum or any part thereof, I have not, nor have my partners or any of them, nor has any person, by my/our order, to my/our knowledge or belief, for my/ our use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the other stakeholder which may be set-off against the claim.]

aedior and the other stakenor	ider wnich may be sei-ojj t	igainsi ine ciaim.j	
Solemnly, affirmed at	on	day, the	day of
20			
Before me,			
Notary / Oath Commissioner.			
			Deponent's signature.
	VERIFICATIO	N N	
I, the Deponent hereinabove, do her	eby verify and affirm that	the contents of para	toof this affidavit are
true and correct to my knowledge and	belief. Nothing is false an	nd nothing material has been	en concealed therefrom.
Verified at on this da	ny of 201		
			Deponent's signature.

SCHEDULE III

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

The formats contained in this Schedule are indicative in nature, and the liquidator may make such modifications to them as he deems fit in the facts and circumstances of the liquidation.

CASH BOOK

Name of Corporate Debtor.....(in liquidation)

Date	Particulars	Ledger		Receip	pt			Paymer	ıts			Balanc	e
		Folio No.											
			Voucher	Cash	Bank	Total	Voucher	Cash	Bank	Total	Cash	Bank	Total
			No.				No.						
		2	,	_		7		9	10				
I	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14

Under 'particulars', the head of account to which the entry relates should be indicated so that the entry may be posted under the proper head in the General Ledger.

GENERAL LEDGER

Name of Corporate Debtor	(in liquidation)
(Head of	faccount)

Date	Particulars	Dr.	Cr.	Balance
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1	2	3	4	5

Instructions:

- 1. A General Ledger should be maintained with such heads of account as the liquidator may think necessary and appropriate. The following heads of account may be found suitable:
- (1) Asset account
- (2) Investments account
- (3) Book Debts & Outstandings account
- (4) Calls
- (5) Rents Collected
- (6) Interest on Securities and Deposits
- (7) Advances received
- (8) Miscellaneous receipts payments
- (9) Establishment
- (10) Legal charges
- (11) Rents, Rates and Taxes
- (12) Fees and Commission account
- (13) Other expenses
- (14) Suspense account
- (15) Secured creditors
- (16) Dividend account.
- 2. The entries in the General Ledger should be posted from the Cash Book.
- 3. The total of the debit balances and the total of the credit balances of the several heads of account in the General Ledger should agree, after taking into consideration the cash and bank balances as shown in the Cash Book. The totals should be tallied once a month.

BANK LEDGER

Corporate debtor's (in liquidation) account with the Scheduled Bank

Date	Particulars	Deposits		Withdrawals	Balance	
		Challan Number	Rs.	Cheque Number	Rs.	Rs.
				Number		
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

REGISTER OF ASSETS

Sl. No.	Description	Date of	Serial	Date of	Date of	Amount	Remarks
	of assets	taking	number of	sale	realization		
		possession	Sales				
			Register				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

Instructions:

1. All the assets of the corporate debtor except the liquidator's investments in securities and outstandings to be realized should be entered in this Register.

SECURITIES AND INVESTMENTS REGISTER

Sl. No.	Petition	Date of	Nature	Amount	Dividend	Date of	Remarks
	number and name of the corporate debtor	investment	and particulars of security in which investment is made	Invested (Rs.)	or interest received with date of receipt (Rs.)	disposal	
1	2	3		-		7	0
1	2	3	4	5	6	/	8
1.							
2.							

REGISTER OF BOOK DEBTS AND OUTSTANDINGS

Sl. No.	Name	Particulars	Amount	Date of	Amount	Action	Date of	Reference	Remarks
	and	of debt	due	bar by	realised	taken	realisation	to Suits	
	address		(Rs.)	limitation	(Rs.)			Register	
	of debtor								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									

Instructions:

1. All debts due to the corporate debtor, both secured and unsecured, including amounts due for arrears of calls made prior to the liquidation, should be entered in this Register.

TENANTS LEDGER

- 1. Description of property:
- 2. Name and address of tenant:
- 3. Date of tenancy:
- 4. Period of tenancy:

- 5. Rent (monthly or annual):
- 6. Special terms, if any:
- 7. Arrears on date of taking charge of property:
- 8. Advance received, if any:

Month	Demand	Realisatio	on	Balance	Remarks
	Amount	Date	Amount	Amount	
	(Rs.)		(Rs.)	(Rs.)	
1	2	3	4	5	6
January					
February					

SUITS REGISTER

Sl.	Number	Name	Name and	Amount	Date	Dates	Date	Nature	Amount	Costs	Reference	Remarks
No.	of suit or appeal	and address of	address of defendant/ respondent	of claim	of filing	of hearing	of decree or	of relief granted	decreed	decreed	to Decree Register	
	and court	plaintiff/ appellant and his advocate	and his advocate				final order					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												

Instructions:

1. Applications made by or against the corporate debtor which are in the nature of suits should also be entered in this Register.

DECREE REGISTER

Number	Name	Amount	Date of	Action	Amount	Date of	Reference to
of suit or	and	Decreed	decree	taken	realized	realisa-	Suits
appeal	address	(Rs.)			(Rs.)	tion	Register
and	of judg-						
court	ment debtor						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

Instructions:

- 1. The purpose of the Register is to enable the liquidator to keep watch on the progress of the realization of decrees in favour of the corporate debtor in his charge.
- 2. Every decree or order for payment of money or delivery of property in favour of the corporate debtor including an order for payment of costs whether made in a suit, appeal or application, should be entered in this Register.

REGISTER OF CLAIMS AND DISTRIBUTIONS

		Claims							Distribu	tions declar	ed and paid				Remarks
Sl.	Name	Amount	Nature	Amount	Whether	Date	Amount	Date	Rate	Amount	Date	Rate	Amount	Date	
No.	and	claimed	of	admitted	ordinary or		(Rs.)	and		(Rs.)	and		(Rs.)	and	
	Address	(Rs.)	claim	(Rs.)	preferential			Mode of			mode of			mode of	
	of		(Rs.)					Payment			payment			payment	
	creditor														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
2.															

Instructions:

- 1. Only claims admitted either wholly or in part should be entered in this Register.
- 2. The page on the left side should be reserved for claims and the page on the right side for Distributions.

CONTRIBUTORY'S LEDGER

Sl. No.	Name and	Number		Calls		Remarks	Retur	ns of share	capital	Remarks
	address of	of	Firs	t call	2^{nd}		Date	Date of	Amount	
	contributory	shares			call/		of	Payment	paid	
		or			3^{rd} call		return		(Rs.)	
		extent	Date of	Amount	(Repeat					
		of	call	paid	columns					
		interest	and	and	as					
		held,	amount	date of	under					
		and	called	payment	first					
		amount			call)					
		paid								
		thereon								
1	2	3	4	5	6 to 9	10	11	12	13	14
1.										
2.										

Instructions:

Only contributories settled on the list of stakeholders should be entered in this Register and they should be entered in the same order as in the list.

DISTRIBUTIONS REGISTER

Date on which distribution is made:

Total amount payable in this round of distribution:

Date	Number on list of stakeholders	Particulars	Receipts	Payments
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Instructions:

- 1. Separate pages should be set apart for preferential and ordinary distributions.
- 2. The payments should be entered as and when they are made. Any amount which is returned unpaid should be reentered in the account under 'Receipts'.
- 3. The number in column 2 should be the number of the stakeholders in the list of stakeholders as finally settled.

4. The total amount of unclaimed distribution payable into the Public Account of India, and the amount paid into the Bank with the date of payment, should be shown at the end of the account.

FEE REGISTER

Amount realized on	Amount	Fee payable on the	Fee, if any payable	Total fee	Date of
which fee are	distributed on	amounts in the two	otherwise under	payable	payment
payable	which fee are	preceding columns	order of		
	payable		Adjudicating		
			Authority		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Instructions:

- 1. There should be a fresh opening for each year.
- 2. The fees due to the liquidator should be entered in the Register as soon as the audit of the account for a quarter is completed.

SUSPENSE REGISTER

Date	Particulars	Debit (Rs.)	Credit (Rs.)	Balance (Rs.)
1	2	3	4	5
1.				
2.				

Instructions:

- 1. Advances made by the liquidator to any person should be entered in this Register.
- 2. There should be a separate opening for each person.

DOCUMENTS REGISTER

Sl. No.	Description of	Date of receipt	From whom	Reference number	How disposed	Remarks
	document		received	of shelf in which	of	
				document is kept		
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Instruction: All documents of title like title-deeds, shares, promissory notes, etc., should be entered in this Register.

BOOKS REGISTER

Date	From whom	Serial	Description of	Shelf	How	Remarks
	received	Number	books,	number	disposed of	
			including files			
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Instruction: All books and files of the corporate debtor which come into the hands of the liquidator should be entered in this Register.

REGISTER OF UNCLAIMED DIVIDENDS AND UNDISTRIBUTED ASSETS DEPOSITED

Sl. No.	Name of	Whether	Number on list	Date of	Rate of dividend	Total
	person	Creditor or	of stakeholders	declaration	or return	amount
	entitled to	Contributory		of dividend		payable
	the			or return		
	dividend					(Rs.)
	or return					
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./347/16]